



# क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

## ग्राम पंचायत- सतारी

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
उत्तर प्रदेश सरकार



महोबा







# क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



**ग्राम पंचायत- सतारी**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
उत्तर प्रदेश सरकार



## प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

Email: doeuplko@yahoo.com; Website: www.upenv.upsdc.gov.in

## तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

## मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव

श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

श्री मृदुल चौधरी, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, महोबा

श्री चित्रसेन सिंह, पीडीएस, मुख्य विकास अधिकारी, महोबा

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ

श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक

डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

## लेखक

वसुधा फाउंडेशन

सुश्री कृति लूथरा, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

## शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, श्री नवीन कुमार, सुश्री फातिमा सैला

सतारी ग्राम पंचायत

श्री संदीप कुमार पाण्डेय, ग्राम प्रधान

## क्षेत्र शोध समर्थन

ग्रामोनोत्ती संस्था, महोबा

डॉ अरविन्द खरे, श्री रूद्र प्रताप मिश्रा, श्री जगन्नाथ प्रसाद यादव, श्री शोभित कुमार, श्री धर्मेन्द्र कुशवाहा

## डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री ससाधर रॉय, श्री रोहिन कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया





**ऑगनवाडी केन्द्र सतारी**  
**ऑगनवाडी कार्यकर्त्री मुलिया देवी** फोन नं. 9165020475

**ऑगनवाडी केन्द्र सतारी (1), ऑगनवाडी कार्यकर्त्री - मुलिया**  
**अल्पमूलक पध्दात का विवरण ( प्रतिमाह )**

क्र. सं.	नामधारी श्रेणी	विद्यार्थी/विद्यार्थिनी का संख्या के जो ( कि.ग्र. )	विद्यार्थी/विद्यार्थिनी का संख्या के जो ( कि.ग्र. )	भ्रम दान ( कि.ग्र. )	विद्यार्थी/विद्यार्थिनी का संख्या के जो ( कि.ग्र. )
1.	04 मास से 03 वर्ष आयु बनी के बच्चे	1.00	1.00	1.00	0.455
2.	03 वर्ष से 04 वर्ष आयु बनी के बच्चे	0.5	0.5	0.5	-
3.	गर्भवती एवं पाली महिला	150	1.00	100	0.455
4.	और कुलीन बच्चे (04 मास से 03 वर्ष आयु)	150	150	200	0.455



श्री चित्रसेन सिंह  
(पी0डी0एस0)



मुख्य विकास अधिकारी  
जनपद महोबा,  
उत्तर प्रदेश  
दिनांक:-

:: संदेश ::

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत- सतारी, विकास खण्ड-जैतपुर, जनपद महोबा की कार्ययोजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली, गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर एवं स्थानीय सहयोगी संस्था-ग्रामोन्नति संस्थान, महोबा उत्तर प्रदेश के समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसे मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारी पर्यावरण की रक्षा करें बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ाये।

यह कार्ययोजना ग्राम पंचायतों में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करे। साथ मिलकर हम प्रभावी जलवायु नीतियों को लागू कर सकते हैं, स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि समाजिक रूप से भी न्याय संगत हो।

एक बार फिर क्लाइमेट कार्य योजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये आप सभी को धन्यवाद। मैं योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करता हूँ।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

भवदीय

06/08/24  
(चित्रसेन सिंह)





# पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन

संदीप कुमार पाण्डेय

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत सतारी

मण्डल अध्यक्ष (AIPP)-प्रधान संगठन चित्रकूट धाम बाँदा मण्डल



निवास/कार्यालय :

ग्राम-सतारी

विकासखण्ड-जैतपुर

जिला-महोबा (उत्तर प्रदेश)

मोबाइल- 9140872353, 9651220127

ग्राम प्रधान,

पत्रांक 61.P.504/2 ग्राम पंचायत सतारी

दिनांक 15/07/2024

वि0ख0 जैतपुर जनपद महोबा

## आभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान ग्राम पंचायत सतारी वि0ख0 जैतपुर जनपद महोबा की ओर से सादर नमस्कार और अभिनन्दन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाये गये प्रथम कदम प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियाँ हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं। और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए उनपर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया है। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिए सामुदायिक सहभागिता के साथ साथ ग्रामसभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्रित किया गया। आंकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिए मैं स्थानीय सहयोगी संस्था ग्राम उन्नति संस्थान महोबा व गोरखपुर इन्वायरमेन्ट एक्शन ग्रुप (जी0ई0ए0जी0) गोरखपुर का तथा आंकड़े एकत्रित करने में हमारे ग्राम वासियों के समर्थन व सक्रिय भागीदारी के लिए हृदय से धन्यवाद हम सभी साथ मिलकर हमारी ग्राम पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेंगे। जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समस्त गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउण्डेशन नई दिल्ली का भी आभारी हूँ जिन्होंने एकत्र किए गये आंकड़ों को कार्य योजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों से अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए हॉथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें और दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद

संदीप कुमार पाण्डेय  
ग्राम प्रधान-सतारी  
विकास खण्ड-जैतपुर  
(ग्राम प्रधान) महोबा

ग्राम पंचायत सतारी  
वि0ख0 जैतपुर जिला महोबा

# विषय वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत की रूपरेखा	4
	▪ सतारी ग्राम पंचायत एक नज़र में	4
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफाइल	5
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	6
	▪ कार्यरत महिलाएं	7
	▪ कृषि	7
	▪ प्राकृतिक संसाधन	7
	▪ सतारी में सुविधाएं	8
3	कार्बन फुटप्रिंट	9
4	व्यापक मुद्दे	10
5	प्रस्तावित सुझाव	11
	1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	12
	2. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	16
	3. सतत कृषि	21
	4. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	26
	5. स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच	29
	6. सतत और उन्नत गतिशीलता	38
	7. आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना	41
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	45
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	51
8	आगे की राह	57
9	अनुलग्नक	58

## आंकड़ों की तालिका

चित्र 1: सतारी ग्राम पंचायत, महोबा ज़िले का भूमि उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2: सतारी में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान (°C), 1990-2019	5
चित्र 3: सतारी में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990- 2020	5
चित्र 4: सतारी में घरेलू स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत	6
चित्र 5: सतारी में घरेलू स्तर पर आय का अनुमान	6
चित्र 6: सतारी में राशन कार्ड वाले परिवार	6
चित्र 7: सतारी में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8: सतारी में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	7
चित्र 9: सतारी में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण	7
चित्र 10: 2022 में सतारी में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	9
चित्र 11: 2022 में सतारी के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	9







# कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की ग्राम पंचायत सतारी बुंदेलखंड कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। सतारी की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु गतिविधियों/प्रक्रियाओं को मजबूत करने और पंचायत को वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत-विशिष्ट रोडमैप/दिशा प्रदान करती है जिससे ग्राम पंचायतलचीला बनाने, अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहयोग प्रदान करती है, साथ ही, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ भी प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजनाओं के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर कार्य योजना तैयार की गई है। सतारी के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे ग्राम पंचायत सतारी की वर्तमान ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

कार्ययोजना<sup>1</sup> बुंदेलखंड कृषि-जलवायु क्षेत्र से संबंधित प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित करती है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, समूह केन्द्रित चर्चाओं, और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए एवं ग्राम पंचायत सतारी के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधार रेखा बनाने और सतारी के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली है।

क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार, ग्राम पंचायत में एक राजस्व गांव और 672 घर हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 5,634 है<sup>2</sup> ग्राम पंचायत की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि ग्राम पंचायत सतारी का कार्बन फुटप्रिंट ~1,765 tCO<sub>2</sub>e है<sup>3</sup>।

## दृष्टिकोण

### प्राथमिक सर्वेक्षण टूल का विकास

- सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा संग्रह: सर्वेक्षण ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया था। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA) गतिविधियों में निवासियों और समुदाय के सदस्यों के साथ समूह केंद्रीय चर्चा (FGD), ट्रांसेक्ट वॉक, सामाजिक संसाधन मानचित्र का विकास आदि शामिल थे।

### डेटा विश्लेषण एवं योजना विकास:

- जीपी प्रोफाइल का विकास: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर एक विस्तृत जीपी प्रोफाइल विकसित की गई थी। इस प्रोफाइल में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और सतारी की सुविधाएँ शामिल हैं।
- प्रमुख मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और HRVCA में प्राप्त प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रमुख विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- कार्बन फुटप्रिंट अनुमान: सतारी में प्रमुख गतिविधियों\* से कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया है।
- प्रस्तावित अनुशासण/सुझाव/संस्तुतियाँ: पर्यावरण और जलवायु मुद्दों के आधार पर सतारी के लिए अनुशासण विकसित की गईं। इन सिफारिशों में बुंदेलखंड क्षेत्र की मौजूदा कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, सतारी की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना के विकास के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु नेतृत्व के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

\*गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत से उत्पन्न उत्सर्जन, आवासीय खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, , फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्य योजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, उनके प्रभावों को कम करने और जोखिम संवेदनशीलता/भेद्यता और क्षमता मूल्यांकन (HRVCA) के महत्वपूर्ण आयाम सम्मिलित किए गए हैं।  
2 जनगणना 2011 डेटा नोट्स: कुल जनसंख्या- 2,735  
3 ग्राम पंचायत में बिजली की खपत के कारण स्कोप 2 सम्मिलित है (UPPCL और CEA के ग्रिड उत्सर्जन फैक्टर से प्राप्त डेटा)।

ग्राम पंचायत सतारी में तत्काल कार्यवाही हेतु चिन्हित कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न हैं:

- जलाशयों का पुनरुद्धार एवं स्वच्छ जल की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सूक्ष्म सिंचाई, कृषि-वानिकी और जैविक कृषि जैसी सतत कृषि तकनीकों को अपनाकर कृषि क्षेत्र को अधिक मजबूत और लचीला बनाना।
- नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) का उपयोग करना तथा छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने, सौर ऊर्जा चालित पंपों, घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।
- परिवहन क्षेत्र और घरेलू खाना पकाने में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करना।
- आजीविका विकल्पों में विविधता लाना तथा हरित रोजगार के अवसर सृजित करना।

संवेदनशील क्षेत्रों पर विचार करते हुए, समूह केन्द्रित चर्चाओं, और क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से उभरकर आये मुद्दों और ग्राम पंचायत में होने गतिविधियोंके आधार पर, विभिन्न अनुशांसाए प्रस्तावित की गई हैं। इन अनुशांसाओं में कृषि, जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, हरित क्षेत्रों का विकास, सतत कचरा प्रबंधन, सतत परिवहन, और बेहतर जीविका विकल्पों तथा हरित उद्यमशीलता के क्षेत्र सम्मिलित हैं।

इन अनुशांसाओं के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों को तीन चरणों में बांटा गया है - पहला चरण (2024-2027), दूसरा चरण (2027-2030) और तीसरा चरण (2030-2035)। इन चरण-वार लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों में भी बांटा जा सकता है। साथ ही, सुझाए गए कार्यक्रमों के लिए वित्तीय स्रोतों का उल्लेख चरण-वार लक्ष्यों, अनुमानित खर्च और केंद्रीय व राज्य सरकार की योजनाओं के सहयोग से किया गया है।

सतारी के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार विकसित की गई है कि इसे ग्राम पंचायत सतारी की वर्तमान ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सके।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निम्नलिखित द्वारा सतारी जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगी:

- a. जलवायु दृष्टिकोण के साथ वर्तमान विकास संबंधी पहलों और गतिविधियों को और विस्तृत बनाना
- b. जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना।

इस कार्य योजना के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियां/ सुझाव और वार्षिक लक्ष्यों को ग्राम पंचायत सतारी में विकास योजना (जीपीडीपी) की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़कर लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के तहत विशेष कार्यक्रमों के लिए आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में सुझाए गए जलवायु अनुकूलन और शमन संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकता है। जैसे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जलाशयों के कायाकल्प से जलवायु अनुकूलन के अतिरिक्त लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची के "गैर-परंपरागत ऊर्जा" विषय के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए किया जा सकता है।


इस योजना को लागू करने से जो कार्बन उत्सर्जन कम होगा या रोका जा सकेगा, उसका अनुमानित मात्रा प्रति वर्ष 1,578 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO<sub>2</sub>e) से ज्यादा है, और अगले 20-25 वर्षों में यह पृथक्करण क्षमता 2,86,000 tCO<sub>2</sub> तक पहुंच सकती है। इस योजना को तीनों चरणों में लागू करने की कुल अनुमानित लागत लगभग ₹44 करोड़ (11 वर्ष के लिए) है, जिसमें समुदाय का निवेश, सरकारी और निजी वित्त तथा संभावित सीएसआर निधि सम्मिलित है। इसमें से लगभग 30-35 प्रतिशत (करीब ₹15 करोड़) धनराशि केंद्रीय और राज्य योजनाओं, मिशनों और कार्यक्रमों से प्राप्त की जा सकती है, जबकि बाकी लागत सीएसआर और निजी निधि से जुटाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएसआर को सम्मिलित करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-प्राइवेट-पार्टनरशिप' की एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

# वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना
























## क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



## सतारी

सतारी ग्राम पंचायत एक नज़र में<sup>4</sup>

	<b>स्थान</b>	ब्लॉक जैतपुर, जिला महोबा
	<b>कुल क्षेत्र<sup>5</sup></b>	1,041.8 हेक्टेयर <sup>6</sup>
	<b>संयोजन</b>	1 राजस्व गांव
	<b>कुल जनसंख्या<sup>7</sup></b>	5,634
	<b>पुरुषों की संख्या</b>	2,989
	<b>महिलाओं की संख्या</b>	2,645
	<b>कुल परिवार<sup>8</sup></b>	672
	<b>पंचायत में उपस्थित सरकारी भवनों की संख्या</b>	9 (पंचायत भवन, 2 प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, 4 आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र)
	<b>प्राथमिक आर्थिक गतिविधि</b>	कृषि
	<b>जल संसाधन</b>	4 तालाब

	<b>759.3 हेक्टेयर</b> कृषि भूमि
	<b>130.66 हेक्टेयर</b> वन भूमि:
	<b>86.5 हेक्टेयर</b> सार्वजनिक भूमि
	अन्य भूमि: ~65.4 हेक्टेयर (बस्तियां और जल निकाय)
	<b>भूमि उपयोग</b>
	बुंदेलखंड जलवायु परिस्थितियाँ: कम वर्षा और उच्च तापमान के साथ अर्ध-शुष्क अधिकतम तापमान: 47.8 °C न्यूनतम तापमान: 3 °C वार्षिक वर्षा: 867 मिमी मिट्टी का प्रकार: राकर, परवा, काबर और मार एवं दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, जौ और ज्वार जैसी फसलों के लिए उपयुक्त
	<b>जिले का समय</b>
	<b>भेद्यता सूचकांक (सीवीआई)<sup>10</sup></b>
	उच्च
	<b>जिले की क्षेत्रीय भेद्यता</b>
	कृषि भेद्यता: उच्च ऊर्जा भेद्यता: उच्च आपदा प्रबंधन भेद्यता: मध्यम वन भेद्यता: मध्यम ग्रामीण भेद्यता: मध्यम स्वास्थ्य भेद्यता: कम जल भेद्यता: कम

4 योजना की तैयारी के लिए किए गए फ़ील्ड सर्वेक्षण का डेटा (फरवरी-मार्च, 2023)

5 भुवन (BHUVAN) से प्राप्त तथ्य/डेटा के आधार पर ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल 1,050 हेक्टेयर है।


6 ग्राम प्रधान के साथ कई दौर की चर्चा के आधार पर

7 जनगणना 2011 डेटा नोट्स: कुल जनसंख्या- 2,735; पुरुष- 1,455; महिला- 1,280

8 कुल मकान- 672; 432 पक्का मकान एवं 240 kaccha मकान (क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार)

9 कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश

10 उ०प्र एसएपीसीसी 2.0



चित्र 1: सतारी ग्राम पंचायत, महोबा ज़िले का भूमि-उपयोग मानचित्र


## जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफाइल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)<sup>11</sup> से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता डेटा (तापमान और वर्षा) से यह पता चलता है कि 1990 और 2019 के बीच क्षेत्र (बांदा जिले) में औसत अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ (चित्र 2 देखें)। समान समयावधि में, वार्षिक वर्षा में घटती प्रवृत्ति दिखाई देती है (चित्र 3 देखें)<sup>12</sup>। हालांकि, IMD का डेटा पंचायत स्तर पर तापमान की सूक्ष्म परिवर्तनशीलता को नहीं दर्शाता है और इसके अतिरिक्त कुछ दिनों का डेटा उपलब्ध नहीं था।


विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच एशिया में गर्मी वैश्विक भूमि और महासागर औसत की तुलना में तेज़ी से बढ़ी है और 2010-2020<sup>13</sup> के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि देखी गई है। इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि आईपीसीसी<sup>14</sup> और भारत सरकार के MoES द्वारा भी की गई है<sup>15</sup>।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और समूह केंद्रीय चर्चा से प्राप्त समुदायों की मौसम परिवर्तनों की धारणा से पता चलता है कि 2010-2020 के दशकों में, ग्राम पंचायत ने गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 65 दिनों की वृद्धि और सर्दी के दिनों में लगभग 41 दिनों की कमी देखी है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बारिश के दिनों की संख्या भी लगभग 24 दिनों से कम हो गई है (मानसून की देरी से शुरुआत)।

ग्राम पंचायत हेतु किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग(आईएमडी) आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया है।



चित्र 2: सतारी में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान (°C), 1990-2019



चित्र 3: सतारी में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2020

11 दैनिक तापमान व वर्षा का डेटा बाँदा स्थित भारतीय मौसम विभाग के मौसम केंद्र से लिया गया है जो ग्राम, पंचायत से 117 किमी की दूरी पर है और एक ही कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है; वर्ष 2009, 2013, 2014, 2015 और 2017 का तापमान डेटा उपलब्ध नहीं है

12 वर्ष 1998 और 2009 का वर्षा डेटा उपलब्ध नहीं है


13 एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)

14 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)

15 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES), भारत सरकार की एक रिपोर्ट | स्प्रिंगर


## प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत सतारी में अधिकांश परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि (44 प्रतिशत) पर निर्भर हैं। इसके बाद पशुपालन (41 प्रतिशत), गैर-कृषि मजदूरी (8 प्रतिशत), और स्थानीय व्यवसाय (4 प्रतिशत) का स्थान आता है (चित्र 4 देखें)




**चित्र 4:** सतारी में घरेलू स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त घरेलू स्तर की आय के अनुमान बताते हैं कि 88 प्रतिशत घरों की वार्षिक आय ₹50,000 से कम है और 6 प्रतिशत घरों की आय ₹50,000 से ₹1 लाख के बीच है। केवल 1 प्रतिशत घरों की आय ₹5 लाख से अधिक है (चित्र 5 देखें)।



**चित्र 5:** सतारी में घरेलू स्तर पर आय का अनुमान

सर्वेक्षण के समय, ग्राम पंचायत के 36 घर, लगभग 5.3 प्रतिशत, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) थे। राशन कार्ड डेटा यह दर्शाता है कि लगभग 94 प्रतिशत घरों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ मिलता है और उनके पास राशन कार्ड हैं। इनमें से 36 परिवारों के पास एक अंत्योदय कार्ड है<sup>16</sup> (चित्र 6 देखें)।



**चित्र 6:** सतारी में राशन कार्ड वाले परिवार

16 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (<https://nfsa.gov.in/portal/RationCardStatePortalsAA>)

## कार्यरत महिलाएं

सतारी में लगभग 597 कामकाजी महिलाएं हैं। ज्यादातर महिलाएं कृषि में संलग्न हैं, इसके बाद गैर-कृषि मजदूरी श्रम में संलग्न हैं (चित्र 7 देखें)। कुछ महिलाएं कला/हस्तशिल्प और पशुपालन में भी संलग्न हैं। ग्राम पंचायत में 48 महिला प्रधान परिवार<sup>17</sup> हैं जो ग्राम पंचायत में कुल घरों का 7.1 प्रतिशत हैं। इसके अतिरिक्त, 15 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) हैं जो वृक्षारोपण आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हैं।

## कृषि

ग्राम पंचायत में 44 प्रतिशत परिवार अपनी आय के लिए कृषि पर निर्भर हैं, जैसा चित्र 4 में दर्शाया गया है। यह परिवार विभिन्न तरीकों से कृषि में संलग्न हैं<sup>18</sup> (चित्र 8 देखें)।


सतारी में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 759.3 हेक्टेयर है जबकि सकल फसल क्षेत्र 1,247.1 हेक्टेयर है। उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें उड़द (~2,226 क्विंटल) और तिल (~731 क्विंटल) हैं। उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसलें गेहूं (~16,772 क्विंटल), मटर (~1,030 क्विंटल) और चना (~686 क्विंटल) हैं। चित्र 9 में सतारी में कुल फल क्षेत्र का फसल-वार वितरण दिया गया है।

सिंचाई के मुख्य स्रोतों में भूजल, वर्षा जल और नहरें सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, सिंचाई के लिए 30 डीजल पंप और 45 इलेक्ट्रिक पंप का उपयोग किया जाता है।


ग्राम पंचायत की लगभग 41 प्रतिशत आबादी पशुपालन में संलग्न है। कुल पशुधन की संख्या 1,045 (239 गाय, 105 भैंस, 433 बकरियां, 67 भेड़, 201 सूअर) है, साथ ही 70 पोल्ट्री पक्षी है। ग्राम पंचायत में मत्स्य पालन भी किया जाता है।

## प्राकृतिक संसाधन


क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर 130.6 हेक्टेयर वन भूमि है। ग्राम पंचायत के पास 86.5 हेक्टेयर सामान्य भूमि भी है, जिसमें से 8.2 हेक्टेयर पर अतिक्रमण हुआ है। ग्राम पंचायत में पाए जाने वाले सामान्य वृक्ष आम, महुआ, बबूल, नीम, अमरूद आदि हैं। ग्राम पंचायत में कृषि क्षेत्रों की सीमाओं पर वृक्षारोपण गतिविधियां की गई हैं, जिसमें लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल सम्मिलित है। वृक्षारोपण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से किया गया है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, सागवान, शीशम, और आम मुख्य वृक्ष प्रजातियां थीं जिन्हें लगाया गया था और इनकी औसत जीवित रहने की दर 55 प्रतिशत थी। ग्राम पंचायत में 4 तालाब हैं, जिनमें से 2 तालाबों अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जा रहा है<sup>19</sup>।



चित्र 7: सतारी में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या



चित्र 8: सतारी में केवल कृषि पर निर्भर परिवार



चित्र 9 - सतारी में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण

17 महिला प्रधान परिवार वे घर हैं जहाँ महिलाएँ एकमात्र/मुख्य कमाने वाली होती हैं

18 यह ध्यान देने योग्य बात है कि कई परिवार एक से अधिक तरीकों से कृषि में लगे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, छोटे ज़मीन के मालिक भी बड़े खेतों पर मज़दूरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बड़े ज़मीन के मालिक किसान भी अनुबंधित कृषि कर सकते हैं।

19 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान बताया गया

## सतारी में सुविधाएं

### बिजली और एलपीजी (LPG)

- बिजली की उपलब्धता: 95% परिवारों तक
- एलपीजी की उपलब्धता: 96.7% परिवारों तक



### पानी

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति के लिए जल का मुख्य स्रोत: भूजल
- पाइप जल कनेक्टिविटी: 100%<sup>20</sup>


### अपशिष्ट

- खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) का दर्जा प्राप्त हुआ
- घरेलू शौचालय कवरेज: 88%



### गतिशीलता और बाज़ार तक पहुंच

- राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 39): 10 किमी
- निकटतम रेलवे स्टेशन: 10 किमी
- निकटतम बस स्टॉप: 10 किमी
- निकटतम डाकघर: 0.3 किमी
- निकटतम बैंक: 10 किमी
- निकटतम कृषि मंडी: 10 किमी
- ग्राम पंचायत के अंदर सरकारी राशन की दुकान



### शिक्षण संस्थान

- 2 प्राथमिक विद्यालय
- जूनियर हाई स्कूल
- इंटरमीडिएट कॉलेज

### स्वास्थ्य संस्थान

- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र




<sup>20</sup> जल जीवन मिशन डैशबोर्ड से पता चलता है कि ग्राम पंचायतों में पाइप से जलापूर्ति 100% कवरेज में है। हालाँकि, सर्वेक्षण/समूह केंद्रित चर्चासमूह केंद्रित चर्चासमूह केंद्रित चर्चासमूह केंद्रित चर्चा के अनुसार, आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी हैंडपंप पर निर्भर है (स्रोत: [https://ejalshakti.gov.in/jjm/citizen\\_corner/villageinformation.aspx](https://ejalshakti.gov.in/jjm/citizen_corner/villageinformation.aspx))



ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (अर्थात, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस अभ्यास का उद्देश्य ग्राम पंचायत की पूरी आधारभूत रेखा विकसित करना था। इस बात को ध्यान देना आवश्यक है कि इस योजना का उद्देश्य एक कार्बन शून्य ग्राम पंचायत नहीं, बल्कि एक क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालांकि, सुझाव में उत्सर्जन में कमी के लाभ होंगे जो शायद ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में जीएचजी पूर्वानुमान सम्मिलित नहीं हैं।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट भी सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें प्रदान करने में मदद करता है जो LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप है। कुल मिलाकर, 2022 में, ग्राम पंचायत सतारी में विभिन्न गतिविधियों से लगभग 1,765 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (tCO<sub>2</sub>e) उत्सर्जित किया है (चित्र 10 देखें)।

ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों में गतिविधियों ने ग्राम पंचायत सतारी के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दिया है। ऊर्जा क्षेत्र में उत्सर्जन बिजली की खपत<sup>21</sup>, खाना पकाने के लिए ईंधन लकड़ी और LPG का दहन, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग, बिजली बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग और विभिन्न परिवहन साधनों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण हैं। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में कृषि क्षेत्रों पर उर्वरक का उपयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन और फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाले उत्सर्जन सम्मिलित हैं। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन अपशिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित हैं।



चित्र 10: 2022 में सतारी में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

सतारी के कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का योगदान 65 प्रतिशत था। ऊर्जा क्षेत्र में, बिजली की खपत से हुआ उत्सर्जन (402.4 tCO<sub>2</sub>e) मुख्य था, इसके बाद परिवहन (322.04 tCO<sub>2</sub>e) और घरेलू खाना पकाने (368.7 tCO<sub>2</sub>e) का स्थान था। कुल उत्सर्जन में 22 प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्र का था। इस क्षेत्र में, पशुधन मुख्य उत्सर्जक (275.4 tCO<sub>2</sub>e) था, इसके बाद उर्वरक उत्सर्जन (71.6 tCO<sub>2</sub>e) था। अपशिष्ट क्षेत्र का कुल उत्सर्जन में 13 प्रतिशत का योगदान था (चित्र 11 देखें)।



चित्र 11: 2022 में सतारी के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

21 बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर होता है

पहचाने गए व्यापक मुद्दे, ग्राम पंचायत की आधार रेखा स्थापित करने के लिए एकत्रित आंकड़ों और किए गए विश्लेषण, उस कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्रीय सर्वेक्षणों और समूह केन्द्रित चर्चाओं के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर आधारित हैं।

जहाँ तक संभव था, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी डेटा स्रोतों से की गई। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय से मिली जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर का डेटा पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं था। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दों को अनुशांसा अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध किया गया है।

#### व्यापक मुद्दे:

- पेयजल संकट और अपर्याप्त जल उपलब्धता
- सीमित एवं अप्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियाँ
- मौसमी अवधि में परिवर्तन और अनियमित वर्षा के कारण ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के अतिरिक्त फसलों की बुवाई का समय, कटाई का समय और सिंचाई की जरूरतें प्रभावित होती हैं।
- असंवहनीय कृषि और पशुपालन पद्धतियाँ
- हरित क्षेत्र और जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों का खराब रख-रखाव
- घरेलू उपयोग, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता का अभाव
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई सुझाव/संस्तुतियाँ सम्मिलित हैं, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है। सुझाव/संस्तुतियों को चरणबद्ध लक्ष्यों और लागत अनुमानों<sup>22</sup> (जहां तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्य तीन चरणों में बांटा गया है: चरण-I (2024-25 से 2026-27); चरण-II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों को प्रभावी और निगरानी वाले कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में वितरित किया जा सकता है। वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य विकसित करने के लिए टेम्पलेट को "क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)" दस्तावेज़ से संदर्भित किया जा सकता है। एसओपी एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों के लिए क्लाइमेट स्मार्ट कार्य योजनाएँ विकसित करने के लिए किया जाता है।

पहचाने गए वित्तपोषण के तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत के विभिन्न टाइड और अनटाइड निधियों या सीएसआर सुझाव/संस्तुति के माध्यम से निजी वित्त सम्मिलित हैं। विस्तृत सिफारिशें निम्नलिखित अनुभाग में दी गई हैं:

### कार्ययोजना में अनुमोदित सुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं :

1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
3. सतत कृषि
4. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
5. स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
6. सतत और उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, सुझाव/संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित पहलों/प्रयासों/नवाचरों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये पहल/प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण से इन्हें, उन्हें मुख्य सुझाव/संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

<sup>22</sup> लागत का अनुमान विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है जैसे: ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त सुझाव, अथवा प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत अनुमान, अथवा आवश्यक सुझाव की प्रति इकाई अनुमानित लागत अथवा विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूचियां।

# 1 जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प



## संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत सतारी कृषि और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राथमिक जल स्रोत के रूप में भूजल पर निर्भर है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में जल की आपूर्ति कम हो गई है और वर्तमान में यह अपर्याप्त है<sup>23</sup>।
- वर्ष 2018, 2021 से 2022 में जुलाई से सितंबर के महीनों में सूखे की घटनाएँ घटित हुई हैं, जिसके कारण अन्य प्रभावों के साथ ही भूजल स्तर में भी कमी आई है<sup>24</sup>। इसलिए, सतारी में वाटरशेड प्रबंधन को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- ग्राम पंचायत में 4 तालाब हैं, जिनमें से 2 को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जा रहा है। हालाँकि, शेष 2 का रख-रखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है और उनमें गाद जमा हो गई है।
- इसके अतिरिक्त, गांव में 6 कुएं हैं, जिनमें से 3 खराब रख-रखाव और गाद, मलबे और कचरे के जमा होने के कारण उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, उन्हें साफ करने और पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है<sup>24</sup>।
- हालाँकि ग्राम पंचायत में पेयजल आपूर्ति के लिए 9 इंडिया मार्क हैंडपंप और 15 सामुदायिक नल हैं, लेकिन भूजल स्तर में गिरावट और लवणता की समस्या के कारण ये समुदाय की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं<sup>25</sup>।
- अपर्याप्त जल निकासी बुनियादी ढांचे के कारण जल जनित रोगों की घटनाएं बढ़ रही हैं<sup>24</sup>।

भूजल पर निर्भरता और सूखे की लगातार घटनाएं वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को चिन्हित करती हैं। सतारी में भेद्यता को कम करने, लचीलापन बनाने तथा जल सुरक्षा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तावित हैं।

23 क्षेत्रीय सर्वेक्षणों और एफजीडी के समुदाय के अनुसार और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई

24 क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार

25 क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार



## वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को बढ़ावा देना

चरण  
अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> <li>सभी सरकारी भवनों/पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना</li> <li>सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1,500 वर्ग फीट से बड़े भूखंड वाले आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना।</li> <li>सभी नए निर्माणों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1,000 वर्ग फीट से बड़े भूखंड वाले आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना।</li> <li>सभी नए निर्माणों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</li> </ol>

लक्ष्य

सरकारी भवनों में 9 आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना - 1 पंचायत भवन, 3 स्कूल और 4 आंगनवाड़ी केंद्र	250 परिवारों में 10 m <sup>3</sup> की औसत भंडारण क्षमता वाला आरडब्ल्यूएच स्थापित किया जाएगा	270 परिवारों में 10 m <sup>3</sup> की औसत भंडारण क्षमता वाला आरडब्ल्यूएच स्थापित किया जाएगा
--	---	---

अनुमानित लागत

आरडब्ल्यूएच (10 m <sup>3</sup> क्षमता की 9 आरडब्ल्यूएच संरचनाएं): ₹3,15,000 कुल लागत: ₹3,15,000	आरडब्ल्यूएच: 250 इकाइयों के लिए ₹87,50,000 कुल लागत: ₹ 87,50,000	आरडब्ल्यूएच: 270 इकाइयों के लिए ₹94,50,000 कुल लागत: ₹94,50,000
--	---	--



## जल निकायों का कायाकल्प और संरक्षण

चरण  
अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> <li>तालाबों का गहरीकरण</li> <li>हैंडपंपों की रीबोरिंग</li> <li>नहर की सफाई और खुदाई</li> <li>जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण और वृक्षारोपण</li> <li>वर्तमान ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) और निर्माण कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) का क्षमता निर्माण<sup>26</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>जल संरक्षण में सुधार के लिए विभिन्न प्रमुख सामुदायिक समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाना</li> <li>विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करना/अपडेट करना</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जल निकायों का नियमित रख-रखाव</li> <li>जल निकायों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण</li> <li>उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना को अपडेट करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जल निकायों का नियमित रख-रखाव</li> <li>उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना को अपडेट करना</li> </ol>

## लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. तालाबों को 3 फीट गहरा करना</li> <li>2. 12 हैंडपंपों की रीबोरिंग</li> <li>3. नहर की सफाई और खुदाई</li> <li>4. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ों का रोपण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4 तालाबों का रख-रखाव</li> <li>2. नहरों और अन्य बुनियादी ढांचे का रख-रखाव</li> <li>3. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1,000 अतिरिक्त पेड़ का रोपण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4 तालाबों का रख-रखाव</li> <li>2. नहरों और अन्य बुनियादी ढांचे का रख-रखाव</li> </ol>
--	---	---

## अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 तालाबों का गहरीकरण: ₹14,00,000 <sup>27</sup></li> <li>2. 12 हैंडपंपों की रीबोरिंग: ₹7,20,000 <sup>28</sup></li> <li>3. नहर की सफाई और खुदाई: ₹7,00,000<sup>29</sup></li> <li>4. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थान और जैव विविधता को बढ़ाना" अनुभाग में सम्मिलित: ₹12,70,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹28,20,000</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4 तालाबों का रख-रखाव: ₹15,00,000</li> <li>2. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थान और जैव विविधता को बढ़ाना" अनुभाग में सम्मिलित: ₹12,70,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹15,00,000</p>	<p>4 तालाबों का रख-रखाव: ₹15,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹15,00,000</p>
--	---	---



## जल निकासी और सीवेज अवसंरचना को बढ़ाना

### अनुमोदित जलवायु चरण स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. नए नालों का निर्माण</li> <li>2. नाले के पानी को गांव में फैलने से रोकने और जलभराव को रोकने के लिए तटबंध का निर्माण</li> <li>3. भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए 3 चेकडैम का निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. वर्तमान नालियों की नियमित सफाई और रख-रखाव</li> <li>2. वर्तमान बुनियादी ढांचे का रख-रखाव</li> </ol>	<p>समस्त बुनियादी ढांचे का नियमित रख-रखाव</p>

## लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5 किलोमीटर के नए नालों का निर्माण</li> <li>2. 250 मीटर लंबे तटबंध का निर्माण <sup>30</sup></li> <li>3. 3 चेकडैम का निर्माण</li> </ol>	<p>वर्तमान बुनियादी ढांचे का नियमित रख-रखाव</p>	<p>सभी वर्तमान बुनियादी ढांचे का नियमित रख-रखाव</p>
---	---	---

27 अनुमानित लागत अनुलग्नक 4 के अनुसार

28 ग्राम पंचायतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लागत

29 अनुमानित लागत अनुलग्नक 4 के अनुसार है (लेकिन नहर की लम्बाई के अनुसार लागत भिन्न हो सकती है)

30 अधिक जानकारी के लिए HRVCA देखें

1. नई नालियों की लागत: ₹8,00,000
  2. तटबंध का निर्माण : ₹10,00,000
  3. नहर की चौड़ाई के आधार पर आवश्यकता के अनुसार
- कुल लागत: ₹18,00,000

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार

## वर्तमान योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के माध्यम से उपलब्ध कराए गए प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर पर जल निकाय संरक्षण और कायाकल्प गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- मनरेगा के अंतर्गत वार्षिक बजट और पीएमकेएसवाई के अंतर्गत वाटरशेड विकास घटक का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लाभ ग्राम पंचायत स्तर की स्वच्छता गतिविधियों के लिए उठाया जा सकता है।
- जल शक्ति अभियान के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर सोख्ता गड्डों के निर्माण के माध्यम से अपशिष्ट जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सकता है: सुजलाम 2.0 अभियान

## वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट/सीएसआर को जल निकायों और कुओं के रख-रखाव और रख-रखाव में योगदान देने के लिए 'एक जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वाटरशेड विकास निधि के माध्यम से वाटरशेड विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग



# 2

## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



### संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों<sup>31</sup> (घरेलू, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थान, तथा वाणिज्यिक क्षेत्र) से उत्पन्न कुल प्रतिदिन अपशिष्ट लगभग 450 किलोग्राम है, जिसमें 260 किलोग्राम प्रतिदिन जैवनिम्नीकरणीय/जैविक अपशिष्ट और 190 किलोग्राम प्रतिदिन गैर-जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट सम्मिलित है।
- सतारी में अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और प्रभावी अपशिष्ट उपचार प्रणाली की कमी के कारण ग्राम पंचायत में जल निकायों और भूखंडों में अपशिष्ट फेंका जाता है<sup>32</sup>। इसके परिणामस्वरूप मानसून के दौरान नालियों के जाम होने के कारण प्रदूषित जल निकाय और जलभराव होता है, जिससे वेक्टर जनित बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी खतरों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
- कृषि और पशु अपशिष्ट की बड़ी मात्रा भी अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ा रही है। ग्राम पंचायत में पशुधन की कुल संख्या 1,045 है (गाय, भैंस, बकरी, सूअर और भेड़ सहित)। इससे औसतन गोबर उत्पादन लगभग 4.5 टन प्रतिदिन है<sup>33</sup> जिसे सतारी में खाद, केंचुआ खाद, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे गतिविधियों/संस्तुतियों के माध्यम से स्थायी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है।
- घरेलू शौचालय कवरेज ~88% है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण और फोकस समूह चर्चाओं ने ग्राम पंचायत में घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इस पृष्ठभूमि में, ग्राम पंचायत में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में वृद्धि और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं -

31 अनुमानित पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें

32 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान रिपोर्ट किया गया है

33 यह अनुमानित है कि गायें प्रतिदिन 10 किलोग्राम गोबर, भैंसें प्रतिदिन 15 किलोग्राम गोबर, सूअर प्रतिदिन 2 किलोग्राम गोबर तथा बकरियां और भेड़ें प्रतिदिन 150 ग्राम गोबर देती हैं।





## अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

अनुमानित लागत

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत-स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा की स्थापना</li> <li>कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए किराए पर इलेक्ट्रिक कचरा संग्रह वैन और कर्मचारी: <ul style="list-style-type: none"> <li>» घरों और सार्वजनिक सुविधाओं से अलग-अलग कचरे का डोर-टू-डोर संग्रह</li> <li>» घरों से ग्राम पंचायत-स्तरीय पृथक्करण सुविधा तक</li> </ul> </li> <li>चयनित स्थानों (राशन की दुकानें, बाजार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कूड़ा पात्र की स्थापना</li> <li>पंचायत, एसएचजी, अनौपचारिक कूड़ा बीनने वालों, स्थानीय स्क्रेप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और एमएसएमई के बीच साझेदारी स्थापित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत स्तर पर पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रख-रखाव</li> <li>स्थापित वर्तमान कचरा डिब्बों का रख-रखाव और आवश्यकतानुसार नए रणनीतिक स्थानों पर अतिरिक्त कचरा डिब्बों की स्थापना</li> <li>ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक भागीदारी को बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत स्तर पर पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रख-रखाव</li> <li>स्थापित वर्तमान कचरा डिब्बों का रख-रखाव</li> <li>ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>विशिष्ट स्थान पर अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा की स्थापना</li> <li>प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले लगभग 450 किलोग्राम कचरे को एकत्र करने के लिए 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन (क्षमता 310 किलोग्राम) का प्रावधान</li> <li>चयनित स्थानों पर 40 कूड़ा पात्र की स्थापना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कचरा डिब्बों की स्थापना</li> <li>वर्तमान सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रख-रखाव</li> <li>साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कचरा डिब्बों की स्थापना</li> <li>वर्तमान सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रख-रखाव</li> <li>साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> <li>अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा की स्थापना: ₹3,00,000<sup>34</sup></li> <li>इलेक्ट्रिक कचरा वैन: ₹1,00,000</li> <li>40 कूड़ा पात्र: ₹6,00,000</li> </ol> कुल लागत: ₹10,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

34 एचआरवीसीए के अनुसार लागत



## बेहतर स्वच्छता प्रबंधन

चरण  
अनुमोदित जलवायु  
स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> <li>घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना</li> <li>सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय होना चाहिए</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>शेष घरों में शौचालय कवरेज का विस्तार करना</li> <li>सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय होना चाहिए</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>वर्तमान बुनियादी ढांचे का रख-रखाव</li> <li>सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय होना चाहिए</li> </ol>

लक्ष्य

40 घरों में दो गड्ढे वाले शौचालयों (ट्विन पिट शौचालय) का निर्माण (लगभग 50% जिनमें घरों में घरेलू स्तर पर शौचालय नहीं हैं)	शेष 40 घरों में दो गड्ढे वाले शौचालयों का निर्माण	वर्तमान बुनियादी ढांचे का रख-रखाव
---	---	-----------------------------------

लागत

दो गड्ढे वाले शौचालय की लागत: ₹6,00,000-₹8,00,000 कुल लागत: ₹6,00,000-₹8,00,000	दो गड्ढे वाले शौचालय की लागत: ₹6,00,000-₹8,00,000 कुल लागत: ₹6,00,000-₹8,00,000	आवश्यकतानुसार
---	---	---------------



## जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन

चरण  
अपशिष्ट का  
सतत प्रबंधन

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> <li>नाडेप कम्पोस्ट गड्ढे और वर्मिकम्पोस्ट गड्ढे की स्थापना</li> <li>ग्राम पंचायत में कम्पोस्ट मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी का निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>खाद गड्ढों का नियमित रख-रखाव</li> <li>ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>खाद गड्ढों का नियमित रख-रखाव</li> <li>ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना</li> </ol>

## लक्ष्य

- 20 नाडेप कम्पोस्ट पिट और 20 वर्मीकम्पोस्ट पिट की स्थापना
- पंचायत समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल (विस्तृत रूप से "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में समझाया गया है):
  - » कम्पोस्ट का उत्पादन और बिक्री
  - » कृषि अपशिष्ट की बिक्री

- कम्पोस्ट गड्डों का रख-रखाव
- साझेदारी बढ़ाना

- कम्पोस्ट गड्डों का रख-रखाव
- साझेदारी बढ़ाना

## अनुमानित लागत<sup>35</sup>

- नाडेप कम्पोस्ट गड्डे: ₹2,00,000
  - वर्मीकम्पोस्ट गड्डे: ₹4,00,000
- कुल लागत: ₹6,00,000

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



## एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

## चरण

### I

2024-25 से 2026-27

- जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम:
  - » ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)
  - » छात्र और युवा समूह
  - » समुदाय के सदस्य और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
- प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों से उत्पाद बनाने के लिए पंचायत महिलाओं और एसएचजी के बीच साझेदारी मॉडल ("आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देना" अनुभाग में विस्तार से समझाया गया है)

### II

2027-28 से 2029-30

- नियमित जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना

### III

2030-31 से 2034-35

- नियमित जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना

## अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

## लक्ष्य

- सिंगल-यूज प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध
- प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में 100-120 महिलाओं को लगाया जाएगा

- सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध जारी
- ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से निम्नलिखित की भागीदारी का विस्तार :
  - » अतिरिक्त 200 महिलाएं
  - » अतिरिक्त एसएचजी एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

- सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध जारी
- विकल्प आसानी से उपलब्ध होने से उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक के उपयोग में कमी

## वर्तमान योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित कम्पोस्ट सुविधाओं के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है
- बुनियादी ढांचे के विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत पहलों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- प्लास्टिक-विकल्प उत्पादों, खाद बनाने की प्रक्रियाओं के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार वृद्धि में सीएसआर निधि महत्वपूर्ण होगी।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक-वैकल्पिक उत्पादों का विनिर्माण, खाद बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार वृद्धि में सीएसआर निधि महत्वपूर्ण होगी।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए ग्राम पंचायत के अपने संसाधनों, टाइड और अनटाइड निधियों सहित, का उपयोग किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

# 3 सतत कृषि



## संदर्भ एवं मुद्दे

- सतारी में कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल ~759 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्रफल लगभग 1,247 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 44 % परिवार आय के लिए कृषि पद्धतियों पर निर्भर हैं और 41 % परिवार आय के लिए पशुपालन पद्धतियों पर निर्भर हैं।
- खरीफ और रबी मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं उड़द (~445 हेक्टेयर), गेहूं (~372 हेक्टेयर), तिल (~121 हेक्टेयर) और मूंगफली (~164 हेक्टेयर)।
- ग्राम पंचायत ने वर्ष 2018, 2021 और 2022 में तीन बार सूखे का अनुभव किया है। आमतौर पर जुलाई-सितंबर के दौरान, जिसके कारण फसल खराब हुई और चारे की कमी हुई।
- उड़द, मूंग और मूंगफली की बुआई का समय जून से बदलकर जुलाई के मध्य में आ गया है। इसी तरह, चना, मटर और सरसों की बुआई का समय अपर्याप्त वर्षा और अनियमित वर्षा पैटर्न के कारण अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से बदलकर नवंबर के मध्य में आ गया है।
- उड़द और चने की फसलों<sup>36</sup> को प्रभावित करने वाले पीले मोज़ेक वायरस जैसी बीमारियों के कारण 2020 और 2022 के बीच फसल का नुकसान हुआ।
- किसान प्रति वर्ष ~127 टन यूरिया और अन्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे प्रति वर्ष ~71 टन CO<sub>2</sub>e का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों जैसे अन्य रासायनिक सुझावों पर भी निर्भर हैं। सतारी में प्राकृतिक कृषि नहीं की जाती है<sup>36</sup>।
- कृषि सलाहकार सेवाओं और मौसम संबंधी जानकारी/अलर्ट/चेतावनी प्रणाली की अनुपस्थिति समुदाय को चरम मौसम की घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।
- क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि कृषि जल की मांग बढ़ गई है, जिससे जल संरक्षण और उन्नत सिंचाई तकनीकों की आवश्यकता पर बल मिलता है।

उपरोक्त बिन्दु अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

36 क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त सुझावों के आधार पर



## कृषि के लिए सूखा प्रबंधन

चरण

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों में वृद्धि और अपनाना</li> <li>कृषि क्षेत्रों के चारों ओर पेड़ों के साथ मेड़बंधी का निर्माण</li> <li>खेत तालाबों का निर्माण</li> <li>किसान बाजरा, ज्वार, उड़द, अरहर आदि उगा सकते हैं (जिनमें जल की कम आवश्यकता होती है)<sup>37</sup></li> <li>फसलों में आवश्यकता आधारित पोषक तत्व प्रबंधन (जैसे जैविक पुनर्चक्रण, पत्तियों पर छिड़काव के लिए पोषक तत्व, आदि)<sup>38</sup></li> <li>सिंचित क्षेत्रों से वाष्पीकरण के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मल्लिंग का उपयोग</li> <li>किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना</li> <li>कृषि क्षेत्र में चयनित स्थान पर स्वचालित/मिनी मौसम स्टेशनो की स्थापना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का विस्तार</li> <li>मेड़बंधी का विस्तार</li> <li>अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण</li> <li>वर्तमानकृषि तालाबों और पेड़ों वाले मेड़ों का नियमित रख-रखाव</li> <li>जागरूकता सृजन की पहल जारी रखना और किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का विस्तार</li> <li>वर्तमान बांधों और कृषि तालाबों का रख-रखाव</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>लगभग 70 हेक्टेयर भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाना (मटर, सरसों, मूंगफली और सब्जियों के अंतर्गत कृषि भूमि का 30%)</li> <li>379.6 हेक्टेयर कृषि भूमि पर पेड़ों के साथ मेड़बंधी बनाए गए (कुल कृषि भूमि का 50%)</li> <li>5 कृषि तालाबों का निर्माण</li> <li>ग्राम पंचायत में उपयुक्त स्थान पर 1 लघु मौसम निगरानी स्टेशन की स्थापना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>लगभग ~94 हेक्टेयर भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां शुरू की गईं (मटर, सरसों, मूंगफली और सब्जियों के लिए अतिरिक्त 40% कृषि भूमि)</li> <li>सभी कृषि भूमि 379.6 हेक्टेयर (100% कवरेज) पर पेड़ों के साथ मेड़बंधी बनाए जाएंगे</li> <li>आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण और वर्तमान कृषि तालाबों का रख-रखाव</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>लगभग 70 हेक्टेयर पर सूक्ष्म सिंचाई (मटर, सरसों, मूंगफली और सब्जियों के अंतर्गत 100% कृषि भूमि)</li> <li>वर्तमान बांधों और कृषि तालाबों का रख-रखाव</li> </ol>

37 स्रोत: जिला: महोबा के लिए कृषि आकस्मिक योजना (<https://kvk.icar.gov.in/Contingencyplan/Mahoba54f04277-8585-47d1-9b8a-eea58418007f.pdf>)

38 सूखा मैनुअल (2020), <https://vedas.sac.gov.in/static/pdf/Drought%20Manual-2020.pdf>

## अनुमानित लागत

1. सूक्ष्म सिंचाई: ₹70,00,000
  2. मेड़बंधी: ₹2,92,270
  3. कृषि तालाब: ₹4,50,000
  4. 1 मिनी मौसम स्टेशन की लागत: ₹1,50,000
- कुल लागत: ₹78,92,270

1. सूक्ष्म सिंचाई: ₹94,00,000
  2. मेड़बंधी: ₹2,92,270
- कुल लागत: ₹96,92,270

- सूक्ष्म सिंचाई: ₹70,00,000  
कुल लागत: ₹70,00,000



## प्राकृतिक खेती अपनाना

### चरण

### I

2024-25 से 2026-27

1. जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा देना।
  - » प्रशिक्षण और प्रदर्शन।
  - » प्राकृतिक/जैविक कृषि प्रमाणन की पहल।
  - » बाजार तक पहुंच और संपर्क साधने की संभावनाएं तलाशना
2. वाष्पीकरण को कम करके और नमी बनाए रखने में वृद्धि करके मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए मिश्रित फसल, फसल चक्र, मल्लिंग, जीरो टिलेज जैसी विविध फसल प्रणालियों में वृद्धि।
3. विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्र के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) रणनीतियों के आधार पर कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण (एईएसए) को अपनाने को बढ़ावा देना (भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार)

### II

2027-28 से 2029-30

1. कृषि भूमि को जैविक कृषि में परिवर्तित करना जारी रखना (नर्सरी बीज बैंक प्रमाणन तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना)
2. चरण I में कार्यान्वित पद्धतियों में वृद्धि और अपनाना

### III

2030-31 से 2034-35

- कृषि भूमि को जैविक कृषि में परिवर्तित करने का 100% विस्तार

## अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

### लक्ष्य

114 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को जैविक कृषि के लिए परिवर्तित करना

190 हेक्टेयर (अतिरिक्त 25% कवरेज) कृषि भूमि को जैविक कृषि के लिए परिवर्तित करना

455 हेक्टेयर (100% कवरेज) कृषि भूमि को जैविक कृषि में परिवर्तित करना



## अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000</li> <li>2. जैविक कृषि के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹2,81,69,4003.</li> <li>3. आईपीएम प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकतानुसार</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹2,82,29,400</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000</li> <li>2. जैविक कृषि के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹4,69,49,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹4,70,09,000</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000</li> <li>2. जैविक कृषि के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹11,24,30,500</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹11,24,90,500</p>
---	---	---



## सतत पशुधन प्रबंधन

### चरण अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिम विधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में संलग्न परिवारों के लिए जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना</li> <li>2. पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-वेट प्रशिक्षण देना पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए सुझाव/संस्तुति के लिए अनुभाग "विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची" देखें।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार</li> <li>2. आवश्यकतानुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण का विस्तार करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार</li> <li>2. आवश्यकतानुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण का विस्तार करना</li> </ol>

### लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पशुपालन में संलग्न परिवारों के लिए सतत पालन पद्धतियों, रोगों की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाओं का आयोजन</li> <li>2. 2 पैरा-वेट्स का प्रशिक्षण<sup>39</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन पद्धतियों पर अतिरिक्त कार्यशालाएं आयोजित</li> <li>2. पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन पद्धतियों पर अतिरिक्त कार्यशालाएं आयोजित</li> <li>2. पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</li> </ol>
--	--	--

### अनुमानित लागत

कार्यशाला और पैरा-वेट प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
--	---------------	---------------

39 ग्राम पंचायत की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षित समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या



## वर्तमान योजनाएं और कार्यक्रम

- सूखा प्रबंधन और रोकथाम प्रक्रियाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उत्तर प्रदेश बाजरा कायाकल्प कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से प्राप्त धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से सहयोग दिया जा सकता है।
- मनरेगा के माध्यम से सूखा निरोधक गतिविधियों तथा नर्सरियों और बीज बैंकों के सृजन को सुव्यवस्थित दिया जा सकता है
- जैविक कृषि पद्धतियों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से सहयोग किया जा सकता है जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग के साथ-साथ जैविक कृषि के प्रदर्शन को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक कृषि केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक कृषि प्रकोष्ठ के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत कृषि के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण हेतु सहायता हेतु कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण में किसानों की सहायता करती है तथा जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देती है।
- पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशु चिकित्सकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- स्थापना एवं संचालन (स्वच्छ, सतत, किफायती एवं विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप)
  - कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद के लिए शीत भंडारण सुविधा
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक कृषि की पद्धतियों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार संपर्क और मौसम आधारित सूचना सेवाएं आदि के बारे में जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना, साथ ही साथ क्लाउडमेट स्मार्ट कृषि पद्धतियों को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए जैविक उर्वरकों को अपनाना, अंततः जैविक कृषि में परिवर्तन, सूखे से बचाव वाली कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन सम्मिलित हैं।
- इसके अतिरिक्त, सतारी में सतत कृषि में लगे किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य सामुदायिक सदस्यों का क्षमता निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कॉर्पोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- कृषि विभाग
- एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (सीआईएमपी)
- बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीएनईडीए)
- जैविक कृषि के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केंद्र, महोबा

# 4

## हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना



### संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत की सीमा में लगभग 130 हेक्टेयर वन भूमि है, जिसमें कुछ झाड़ीदार भूमि भी सम्मिलित है।
- ग्राम पंचायत में पाए जाने वाले पेड़ों की सामान्य किस्मों में महुआ, अमरूद और नीम आदि सम्मिलित हैं<sup>40</sup>।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत वृक्षारोपण गतिविधियाँ की गई हैं। सागवान, शीशम और आम मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ थीं जो लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाई गईं।

ग्राम पंचायत सतारी में हरित स्थानों को विकसित करने की संभावना है, जिससे न सिर्फ तापमान को संतुलित रखने और छाया प्रदान करने में मदद मिलेगी, बल्कि यह दीर्घकालिक रूप से मिट्टी की गुणवत्ता और जल स्तरों को भी सुधारेगा, साथ ही ग्राम पंचायत में कार्बन अवशोषण क्षमता को भी बढ़ाएगा।



### हरित आवरण में सुधार

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>विभिन्न पहलों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित वृक्षारोपण गतिवियधियाँ<sup>41</sup>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>छात्रों के लिए ग्रीन <b>स्टीवर्डशिप कार्यक्रम</b><sup>42</sup> (5 छात्रों का चयन)</li> <li>देशी फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण</li> </ul> </li> <li><b>आरोग्य वन</b> का विकास - भूमि की खरीद और तैयारी, विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों की प्रजातियों का चयन और रोपण<sup>43</sup> झाड़ियाँ और पेड़</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>वर्तमान वृक्षारोपण और नर्सरी का रख-रखाव</li> <li><b>बाल वन</b><sup>43</sup> के निर्माण के साथ वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार</li> <li>किसानों का कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहन</li> <li><b>आरोग्य वन</b> की स्थापना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार और रख-रखाव - <b>बाल वन</b>, खाद्य वन और अन्य वृक्षारोपण</li> <li>कृषि वानिकी पहल के तहत क्षेत्र का विस्तार</li> <li><b>आरोग्य वन</b> में प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयों की स्थापना ('आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देना' अनुभाग में बताया गया है)</li> </ol>

40 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान रिपोर्ट किया गया है

41 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियाँ

42 स्कूली छात्रों को पेड़ लगाने के काम में लगाया जाएगा और प्रत्येक कक्षा से छात्र नेता चुने जाएंगे जो अपने साथियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत समुदाय को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे।

43 नए माता-पिता को उनके बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में देशी सदाबहार वृक्षों के पौधे उपहार में दिए जाएंगे तथा उन्हें अपने बच्चों के जीवन में इन पौधों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

## लक्ष्य

1. सामान्य और लुप्तप्राय वृक्षों के 2,000 पौधे लगाए जाएंगे और कम से कम 65% जीवित रहने की दर (ट्री गार्ड का उपयोग करके) सुनिश्चित की जाएगी।

पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 11,200 tCO<sub>2</sub> से 20,000 tCO<sub>2</sub><sup>44</sup>

2. आरोग्य वन की स्थापना के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि आवंटित/विहित की गई है

1. ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों और जल निकायों के आसपास 2,000 से 2,500 पौधों का रोपण

पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 14,000 tCO<sub>2</sub> से 25,000 tCO<sub>2</sub>

2. आरोग्य वन की स्थापना और रख-रखाव किया जाएगा।

3. लगभग 85 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी को अपनाया 8,500 वृक्षों<sup>45</sup> का रोपण

पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 47,600 tCO<sub>2</sub> से 85,000 tCO<sub>2</sub>

4. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के निर्माण और विपणन के लिए एफपीओ, महिला समूहों और युवा समूहों का क्षमता निर्माण

1. अतिरिक्त 2,500 से 3,000 पौधों का 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता: 16,800 tCO<sub>2</sub> से 30,000 tCO<sub>2</sub>

2. शेष 126 हेक्टेयर भूमि पर कृषि वानिकी अपनाई गई। 12,600 पेड़ रोपे गए

पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 70,560 tCO<sub>2</sub> से 1,26,000 tCO<sub>2</sub>

3. आरोग्य वन का रख-रखाव और प्राकृतिक औषधियों और पूरकों का उत्पादन जारी

## अनुमानित लागत

वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹25,40,000  
कुल लागत: ₹25,40,000

1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹25,40,000- ₹31,75,000

2. कृषि वानिकी की लागत: ₹34,00,000  
कुल लागत: ₹59,40,000- ₹65,75,000

1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹31,75,000- ₹38,10,000

2. कृषि वानिकी की लागत: ₹50,40,000  
कुल लागत: ₹82,15,000 - ₹88,50,000



## जन जैवविविधता रजिस्टर

## अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

1. जन जैव विविधता रजिस्टर को अपडेट करना  
2. जागरूकता सृजन

1. जन जैव विविधता रजिस्टर को अपडेट करना  
2. जागरूकता विस्तार

1. जन जैव विविधता रजिस्टर को अपडेट करना  
2. जागरूकता विस्तार

## लक्ष्य

1. जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन और क्षमता वृद्धि  
2. जन जैव विविधता रजिस्टर का सहभागी अपडेट

जन जैव विविधता रजिस्टर का सहभागी अपडेट

जन जैव विविधता रजिस्टर का सहभागी अपडेट

44 सागौन की प्रजातियों के आधार पर पृथक्करण क्षमता का अनुमान

45 चना, मूंगफली और सब्जियों के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि (लगभग 211 हेक्टेयर) कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त मानी जाती है।

## वर्तमान योजनाएं और कार्यक्रम

- वृक्षारोपण गतिविधियों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 'भारत में वनों के बाहर वृक्ष' पहल, हरित भारत मिशन, जल जीवन मिशन और उत्तर प्रदेश राज्य वृक्षारोपण लक्ष्य के तहत प्रावधानों के माध्यम से संरक्षित और संचालित किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजट निम्नलिखित के लिए निर्देशित किया जा सकता है:
  - ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैव विविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, तथा मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियां
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को भी श्रमदान में सम्मिलित किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी उप-मिशन का लाभ निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उठाया जा सकता है:
  - कृषि वानिकी रोपण से प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाएं
  - वृक्षारोपण के लिए सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वार्षिक अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ का कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायतों में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- बीएमसी के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का लाभ उठाया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग और स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन।
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड लगाने के लिए सीएसआर निधि का लाभ उठाया जा सकता है। "आजीविका वृद्धि और हरित उद्यमिता में वृद्धि" अनुशंसा के अनुसार सीएसआर निधि का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैव विविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ
- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

<sup>46</sup> जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>



# 5

## स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच



### संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत सतारी ने 2022-23 में लगभग 4,90,756 यूनिट (kWh) बिजली की खपत की। ग्राम पंचायत में 95% घरों में बिजली कनेक्शन है, लेकिन समुदाय के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार बिजली की आपूर्ति 24\*7 नहीं है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान समुदाय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, औसतन ग्राम पंचायत में हर दिन 4 घंटे बिजली कटौती होती है<sup>47</sup>।
- बिजली कटौती के कारण, पावर बैक-अप के लिए ग्राम पंचायत में 10 डीजल जनरेटर चल रहे हैं<sup>48</sup> और वे लगभग 5.3 किलो वार्षिक ईंधन की खपत करते हैं।
- सिंचाई के लिए 45 विद्युत पंपों का उपयोग किया जाता है।
- सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) लाइट और कम दक्षता वाले अन्य फिक्सचर और उपकरण किसी भी घर और सार्वजनिक उपयोगिताओं में हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत को अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट (80 स्ट्रीट लाइट और 10 हाई-मास्ट सोलर एलईडी) की आवश्यकता है<sup>49</sup>।
- लगभग 220 घरों में खाना पकाने के लिए गाय के गोबर और ईंधन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि घर के अंदर हवा की गुणवत्ता में सुधार जैसे लाभ भी होंगे।

ग्राम पंचायत की पहचान की गई ऊर्जा संबंधी चिंताओं के आधार पर। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए और साथ ही चल रहे कार्यक्रमों जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022, आदि के संयोजन में, सतारी में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं। अनुमोदित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी।

47 क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त सुझावों के आधार पर

48 क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान रिपोर्ट की गई

49 ग्राम प्रधान से प्राप्त इनपुट के आधार पर



## सौर छत स्थापना

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

सभी सरकारी भवनों की छत पर सौर फोटोवोल्टिक : 2 प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगवंडी केंद्र<sup>50</sup>

1. पक्के मकानों पर छत पर सौर पैनल लगाना
2. सभी नई इमारतों पर छत पर सौर पैनल लगाना (चरण II के दौरान निर्मित)

1. पक्के घरों पर छतों पर सौर पैनलों की स्थापना का विस्तार
2. सभी नई इमारतों (चरण III के दौरान निर्मित) की छतों पर सौर पैनलों की स्थापना
3. सौर छतों का नियमित रख-रखाव

स्थापित छत सौर फोटोवोल्टिक<sup>51</sup>:

क. कन्या प्राथमिक विद्यालय (1,525

वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 kWp

ख. प्राथमिक विद्यालय: (1,525 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 kWp

ड़. जूनियर हाई स्कूल: (1,440 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 kWp

च. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र: (1,200 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 kWp

छ. 4 आंगनवाड़ी केंद्र (260.13 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 20 kWp<sup>52</sup>

इस चरण में स्थापित कुल सौर छत क्षमता: 60 kWp

उत्पादित बिजली: 80,352 kWh प्रति वर्ष (~220 यूनिट प्रति दिन)

ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: 65.8 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष

हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अति आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के मद्देनजर, कुछ परिवार भी छतों पर सौर पीवी स्थापना के इस चरण का हिस्सा बन सकते हैं।

172 (~40%) पक्के घरों पर सौर फोटोवोल्टिक क्षमता की स्थापना<sup>53</sup>

स्थापित सौर छत क्षमता: 516 kWp

कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: ~6,91,027 kWh प्रति वर्ष<sup>54</sup> (~1,893 यूनिट प्रति दिन)

ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: लगभग: 567 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष

432 (~100%) पक्के घरों पर सौर छत क्षमता की।

स्थापित छत सौर फोटोवोल्टिक क्षमता: 780 kWp

कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: ~10,44,576 kWh प्रति वर्ष<sup>55</sup> (~2,862 यूनिट प्रति दिन)

ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: लगभग: 857 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष<sup>56</sup>

लक्ष्य

50 पंचायत भवन पर सौर ऊर्जा पैनल पहले ही लगाए जा चुके हैं

51 पंचायती राज संस्थाओं में सौर ऊर्जा स्थापना की क्षमता 10 किलोवाट प्रति घंटा तक सीमित

52 प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में 5 किलोवाट घंटे की सौर ऊर्जा स्थापना

53 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना गया है; प्रति घर 3 kWp छत स्थापना का अनुमान

54 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से अधिक है

55 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से लगभग दोगुना है

56 उत्सर्जन से बचने से पंचायत को कार्बन तटस्थता की ओर ले जाने में मदद मिलेगी।

## अनुमानित लागत

कुल लागत: ₹30,00,000	कुल लागत: ₹2,58,00,000 सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत <sup>57</sup> : ₹1,54,80,000	कुल लागत: ₹3,90,00,000 सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹2,34,00,000
----------------------	---	--



## एग्रो-फोटोवोल्टिक स्थापना

### चरण

<b>I</b> 2024-25 से 2026-27	<b>II</b> 2027-28 से 2029-30	<b>III</b> 2030-31 से 2034-35
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

### अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

किसानों, किसान समूहों, महिला समूहों आदि के बीच जागरूकता पैदा करना	उपयुक्त कृषि भूमि के क्षेत्र भाग पर कृषि-फोटोवोल्टेइक की स्थापना (बागवानी और फलीदार फसलों के अंतर्गत)	उपयुक्त कृषि भूमि के क्षेत्र भाग पर कृषि-फोटोवोल्टेइक की स्थापना (बागवानी और फलीदार फसलों के अंतर्गत)
---	---	---

### लक्ष्य

किसानों के बीच कृषि-फोटोवोल्टिक पहल में वृद्धि के लिए जागरूकता अभियान और अभिविन्यास सत्र का आयोजन	2 हेक्टेयर में कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित क्षमता: 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचाव: 549 tCO <sub>2</sub> e प्रति वर्ष	2 हेक्टेयर में कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित क्षमता: 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचाव: 549 tCO <sub>2</sub> e प्रति वर्ष
---	--	--

### अनुमानित लागत

	कुल लागत <sup>58</sup> : ₹5,00,00,000	कुल लागत: ₹5,00,00,000
--	---------------------------------------	------------------------

57 सब्सिडी परिवर्तनशील होती है और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदंडों के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और वर्तमान समय में शायद सटीक ना हों।

58 प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ कृषि पीवी की लागत कम होती जा रही है। हालांकि, उच्चतर पक्ष पर लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह माना गया है कि किसान बागवानी और अन्य समान फसलों के लिए निर्धारित भूमि क्षेत्रों के लिए भी फसल चक्र के अनुसार अन्य फसल लगते हैं। इसलिए, बागवानी के तहत उपलब्ध भूमि का केवल एक प्रतिशत ही कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना के लिए ध्यान में रखा गया है।



## सौर पंप

### चरण

### अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

#### I

2024-25 से 2026-27

ग्राम पंचायत में वर्तमान 30 (50%) डीजल पंप सेट को सौर पंप से प्रतिस्थापित करना<sup>59</sup>

\*यदि सौर पंप व्यवहार्य नहीं हैं, तो ऊर्जा कुशल पंपों (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है।

#### II

2027-28 से 2029-30

1. सभी 25 ग्रिड से जुड़े विद्युत पंप सेटों का सौरीकरण
2. सौर ऊर्जा से चलने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना

#### III

2030-31 से 2034-35

1. ग्रिड से जुड़े अतिरिक्त 20 विद्युत पंप सेटों का सौरीकरण
2. सौर ऊर्जा से चलने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना

### लक्ष्य

30 वर्तमान डीजल पंप सेटों को सौर पंपों से प्रतिस्थापित करना

स्थापित क्षमता: ~165 kW

बिजली उत्पादन क्षमता: ~2,20,968 kWh प्रति वर्ष

डीजल की खपत में कमी: 11,700 लीटर/वर्ष

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचाव: 31.5 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष

ग्रिड से जुड़े 25 विद्युत पंपों का सौरीकरण

स्थापित क्षमता: ~137 kW

बिजली उत्पादन क्षमता: ~ 1, 84,140 kWh प्रति वर्ष

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचाव: 26 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष

ग्रिड से जुड़े 20 विद्युत पंपों का सौरीकरण

स्थापित क्षमता: ~110 kW

बिजली उत्पादन क्षमता: ~1,47,312 kWh प्रति वर्ष

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचाव: 21 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष

### अनुमानित लागत

कुल लागत: ₹90,00,000-  
₹1,50,00,000

सब्सिडी: ~60% (राज्य + सीएफए)

प्रभावी लागत: ₹36,00,000-  
₹60,00,000

प्रभावी लागत: ₹ 30,00,000-  
₹ 50,00,000

प्रभावी लागत: ₹ 24,00,000-  
₹4 0,00,000

59 यह मानते हुए कि डीजल पंप की क्षमता 7.5 एचपी है





## रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

I

2024-25 से 2026-27

परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी  
परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + एलपीजी  
परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + उन्नत चूल्हे + एलपीजी

II

2027-28 से 2029-30

परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी  
परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + एलपीजी  
परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + उन्नत चूल्हे + एलपीजी

III

2030-31 से 2034-35

परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी  
परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + एलपीजी  
परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + उन्नत चूल्हे + एलपीजी

लक्ष्य

परिदृश्य 1: 155 परिवार बायोगैस संयंत्र का उपयोग (25% परिवार मवेशी रखते हैं) + 517 परिवार एल.पी.जी. का उपयोग  
परिदृश्य 2: 10 परिवार सौर ऊर्जा चालित प्रेरण चूल्हों का उपयोग (25% परिवार उच्च आय वर्ग में हैं) + 662 परिवार एल.पी.जी. का उपयोग  
परिदृश्य 3: 10 परिवार सौर ऊर्जा चालित प्रेरण चूल्हों का उपयोग (25% परिवार उच्च आय वर्ग में हैं) + 55 परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग (25% परिवार वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 607 परिवार एल.पी.जी. का उपयोग

परिदृश्य 1: 310 और परिवार बायोगैस संयंत्र का उपयोग (कुल 50% परिवार) + 207 परिवार एल.पी.जी. का उपयोग  
परिदृश्य 2: 10 और परिवार सौर ऊर्जा चालित प्रेरण चूल्हे का उपयोग (उच्च आय वर्ग के अतिरिक्त 25% परिवार) + 652 परिवार एल.पी.जी. का उपयोग  
परिदृश्य 3: 10 और परिवार सौर ऊर्जा चालित प्रेरण चूल्हे का उपयोग (उच्च आय वर्ग में 25% अतिरिक्त परिवार) + 55 और परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग करते हैं (शेष 25% परिवार वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 542 परिवार एल.पी.जी. का उपयोग

परिदृश्य 1: अतिरिक्त 155 परिवार बायोगैस संयंत्र का उपयोग (100% परिवारों में मवेशी हैं) + 52 परिवार एल.पी.जी. का उपयोग  
परिदृश्य 2: 22 और घर सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (शीर्ष आय वर्ग के 100% घर) + 630 एलपीजी का उपयोग  
परिदृश्य 3: 22 और परिवार सौर ऊर्जा चालित प्रेरण चूल्हे का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में 100% परिवार) + 110 और परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में अतिरिक्त 50% परिवार) + 432 परिवार एल.पी.जी. का उपयोग

अनुमानित लागत

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों - ₹77,50,000  
परिदृश्य 2: सौर प्रेरण कुकस्टोव - ₹4,50,000  
परिदृश्य 3: ₹45,000 + ₹6,15,000  
औसत लागत: ₹29,38,333

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों - ₹1,55,00,000  
परिदृश्य 2: सौर प्रेरण कुकस्टोव - ₹4,50,000  
परिदृश्य 3: ₹45,000 + ₹6,15,000  
औसत लागत: ₹55,21,666

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों - ₹77,50,000  
परिदृश्य 2: सौर प्रेरण कुकस्टोव - ₹9,90,000  
परिदृश्य 3: ₹9,90,000+ ₹13,20,000  
औसत लागत: ₹33,53,333



## ऊर्जा कुशल फिक्स्चर

चरण

I

2024-25 से 2026-27

1. पीआरआई इमारतों में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से प्रतिस्थापना करना
2. ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम 1 सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब और/या एलईडी ट्यूब लाइट से प्रतिस्थापना करना।
3. निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटेड) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

II

2027-28 से 2029-30

1. सीएफएल बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्बों का इस्तेमाल बढ़ाना
2. घरों में पारंपरिक पंखों के स्थान पर ऊर्जा कुशल पंखे लगाना
3. निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

III

2030-31 से 2034-35

घरों में पारंपरिक पंखों के स्थान पर ऊर्जा कुशल पंखों का उपयोग बढ़ाना

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

1. सभी पंचायती राज संस्थाओं/सरकारी भवनों में विद्यमान उपकरणों के स्थान पर 100% एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा कुशल पंखे लगाए जाएंगे।
2. सभी घरों में 1,344 वर्तमान सीएफएल बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब लगाए जाएंगे (प्रत्येक घर में 2) और 652 ट्यूब लाइटों के स्थान पर एलईडी ट्यूब लाइट (प्रत्येक घर में 1)

1. सभी घरों में अतिरिक्त 652 सीएफएल बल्बों (प्रत्येक घर में 1) को एलईडी बल्बों से तथा 652 वर्तमान ट्यूबलाइटों को एलईडी ट्यूबलाइटों से प्रतिस्थापित करना (प्रत्येक घर में 1 एलईडी ट्यूबलाइट)
2. सभी घरों में ~1,344 ऊर्जा कुशल पंखों को प्रतिस्थापित करना ( प्रत्येक घर में 2)

अतिरिक्त ~1304 ऊर्जा कुशल पंखे (प्रति परिवार 2) लगाना

अनुमानित लागत

1. 1,344 एलईडी बल्बों की लागत: ₹94,080
  2. 652 एलईडी ट्यूब लाइटों की लागत: ₹1,43,440
- कुल लागत: ₹2,37,520

1. 652 एलईडी बल्बों की कीमत: ₹45,640
  2. 652 एलईडी ट्यूब लाइटों की कीमत: ₹1,43,440.3.
  3. 1,344 ऊर्जा कुशल पंखों की कीमत: ₹1,43,440
- कुल लागत: ₹16,80,920

1,304 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹14,47,440  
कुल लागत: ₹14,47,440



## सौर स्ट्रीट लाइट<sup>60</sup>

चरण  
अनुमोदित जलवायु  
स्मार्ट गतिविधियाँ

I

2024-25 से 2026-27

1. सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की स्थापना
2. सड़कों, फुटपाथों, सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों और अन्य प्रमुख स्थानों पर हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना

II

2027-28 से 2029-30

1. नई सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाना
2. अधिक हाई-मास्ट सौर एलईडी लगाना
3. वर्तमान स्ट्रीट लाइट्स का रख-रखाव और मरम्मत

III

2030-31 से 2034-35

स्ट्रीट लाइटों का नियमित रख-रखाव एवं आवश्यकता अनुसार और सोलर स्ट्रीट लाइटें लगवाना

लक्ष्य

1. 40 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाना
2. 5 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाना

1. 40 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना
2. 5 और हाई-मास्ट सौर एलईडी लगाना

स्ट्रीट लाइटों का नियमित रख-रखाव एवं आवश्यकता अनुसार और सोलर स्ट्रीट लाइटें लगवाना

अनुमानित  
लागत

1. 40 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना: ₹4,00,000
  2. 5 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें: ₹2,50,000
- कुल लागत: ₹6,50,000

1. 40 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना: ₹4,00,000
  2. 5 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट: ₹2,50,000
- कुल लागत: ₹6,50,000

आवश्यकतानुसार

## वर्तमान योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 में <sup>61</sup>निम्नलिखित प्रावधान हैं:
  - आवासीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्रों पर सब्सिडी: ₹ 15,000/किलोवाट से लेकर अधिकतम ₹ 30,000/- प्रति उपभोक्ता, जो एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त है।
  - संस्थानों में स्वयं द्वारा अथवा यूपीनेडा के परामर्श से रेस्को मोड में सौर ऊर्जा स्थापना का प्रावधान, <sup>62</sup> जिसमें संयंत्र की लागत का 3 प्रतिशत परामर्श शुल्क देना होगा।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
  - 3 किलोवाट क्षमता तक की आरटीएस प्रणालियों के लिए 40 प्रतिशत तक सीएफए दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाली आरटीएस प्रणालियों के लिए, 40 प्रतिशत का सीएफए केवल पहले 3 किलोवाट क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से अधिक (10 किलोवाट तक) क्षमता के लिए सीएफए 20 प्रतिशत तक सीमित होगा।
  - ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सामान्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आरटीएस संयंत्र की स्थापना के लिए सीएफए 20 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। जीएचएस/आरडब्ल्यूए के लिए सीएफए के लिए पात्र क्षमता प्रति घर 10 किलोवाट तक सीमित होगी और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।

60 क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों और ग्राम प्रधान के साथ अन्यर्चा के आधार पर

61 [https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar\\_Pradesh\\_Solar\\_Energy\\_Policy\\_2022.pdf](https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf)

62 तृतीय पक्ष (आरईएससीओ मोड) (अक्षय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

- » पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन किए जा सकते हैं।<sup>63</sup> इस योजना के तहत 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत का 40% सीएफए प्रदान किया जाता है। सीएफए की अधिकतम सीमा 3 किलोवाट होगी। वर्तमान बेंचमार्क कीमतों पर, इसका मतलब होगा 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक सिस्टम के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी
- पीएम कुसुम योजना प्रदान करती है:
  - » पीएम कुसुम योजना का घटक ए, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और उससे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देता है।
  - » पीएम कुसुम योजना के घटक बी और सी के तहत, केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप के आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेंगे। किसानों को केवल 10 प्रतिशत की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान बैंक को किश्तों में किया जा सकता है।
- पीएम कुसुम योजना में यूपी सरकार का योगदान :
  - » घटक सी-1 के अंतर्गत: किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सौरीकरण; यह एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है।
  - » घटक सी-2 के अंतर्गत: राज्य सरकार द्वारा पृथक कृषि फीडरों का सौरीकरण, जिसके लिए एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त 50 लाख रुपये प्रति मेगावाट की व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) प्रदान की जाएगी।
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं<sup>64</sup>:
  - » ईईएसएल अपने खर्च पर पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों से प्रतिस्थापित करता है तथा 7 वर्षों तक एलईडी बल्बों के प्रतिस्थापन और रख-रखाव की निःशुल्क सुविधा प्रदान करता है।
  - » अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सौर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम 12 वाट एलईडी और 3 दिन की बैटरी बैक-अप के साथ सौर स्ट्रीटलाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करते हैं।
- ग्राम उजाला योजना<sup>65</sup>:
  - » ₹ 10 प्रति बल्ब की किफायती कीमत पर उपलब्ध
  - » ग्रामीण उपभोक्ताओं को कार्यशील तापदीपक बल्बों के बदले में तीन वर्ष की वारंटी के साथ 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब दिए जाएंगे।
- शीत भंडारण स्थापना के लिए सब्सिडी
  - » परियोजना लागत के 35 प्रतिशत के बराबर ऋण से जुड़ी बैंक एंटेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
    - कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का क्रियान्वयन कर रहा है।
    - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "बागवानी उत्पादों के लिए शीतगृहों और भंडारण स्थलों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक योजना को लागू कर रहा है।
  - » प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना घटक के तहत 35 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और मुर्गीपालन के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के साथ अवसंरचना सुविधा के निर्माण के लिए प्राप्त की जा सकती है।<sup>66</sup> यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन अवसंरचना के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलापन प्रदान करती है।
- ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों के लिए बाजार आधारित गतिविधि/संस्तुति शुरू करने की योजना बनाई है
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) जैसी

63 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

64 ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम

65 ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे (फरवरी 2023), पीआईबी

66 जैसे कि फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, मल्टी प्रोडक्ट/मल्टी टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, वितरण केंद्र में ब्लास्ट फ्रीजिंग और रीफर वैन, मोबाइल कूलिंग यूनिट

योजनाओं के माध्यम से धन जुटाना।

- » एसबीएम-जी के तहत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर पर बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए प्रति जिले<sup>67</sup> ₹ 50.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022,<sup>68</sup> गोबरधन योजना के तहत भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
  - » संपीडित बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर ₹ 75 लाख/टन से अधिकतम ₹ 20 करोड़ तक का प्रोत्साहन
  - » विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट
  - » स्टाम्प ड्यूटी और बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम को क्रियान्वित किया है:
  - » यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना में सहयोग करता है
  - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹ 0.25 करोड़ प्रति 12,000 m<sup>3</sup> /दिन है<sup>69</sup>
- पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य भारत में उन घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जो सौर छत स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं<sup>70</sup>।

## वित्त के अन्य स्रोत

- सौर छत, सौर पंप आदि खरीदने के लिए ऋण हेतु स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ गठजोड़ की संभावनाएं तलाशें
- कृषि-फोटोवोल्टिक्स के लिए सौर डेवलपर्स के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाशें
- सीएसआर निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है:
  - सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले समान परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अतिरिक्त सौर छतों/कृषि-फोटोवोल्टिक्स/सौर पंपों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को कवर करना।
  - ग्राम समुदाय के सदस्यों/स्व सहायता समूहों के सदस्यों को ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए “संचालन एवं रख-रखाव” प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - रूफटॉप सोलर (यूपी सोलर पॉलिसी, 2022) और सौर सिंचाई (पीएम-कुसुम, यूपी सौर सिंचाई योजना) में वृद्धि करने वाली वर्तमान सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान आयोजित करना।

## प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीएनईडीए)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

67 <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1883926>

68 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

69 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

70 <https://pmsuryaghar.gov.in/>



# 6

## सतत और उन्नत गतिशीलता



### संदर्भ एवं मुद्दे

- सतारी में कुल 399 आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहन हैं; 310 दोपहिया वाहन, 18 कारें, 6 जीप, 50 ट्रैक्टर और 15 ऑटो-रिक्शा। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 4 ई-रिक्शा भी हैं<sup>71</sup>।
- आईसीई (ICE) वाहनों द्वारा प्रति वर्ष कुल ईंधन खपत ~82 किलो लीटर (केएल) डीजल और ~57 किलो लीटर पेट्रोल है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन से ~339 tCO<sub>2</sub>e उत्सर्जन हुआ है<sup>72</sup>।

इसलिए, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों की ओर बदलाव शुरू करने की काफी गुंजाइश है।



### मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में ऑटोरिक्शा के स्थान पर ई-ऑटोरिक्शा लाना

ग्राम पंचायत में अतिरिक्त ऑटोरिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से प्रतिस्थापित करना

मांग के आधार पर अधिक ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जा सकते हैं

लक्ष्य

10 ऑटोरिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलें

अतिरिक्त 5 ऑटोरिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से प्रतिस्थापित किया जाएगा

आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा की खरीद

71 क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

72 क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त सुझावों के आधार पर

## अनुमानित लागत

<p>एक ई-ऑटोरिक्शा की लागत लगभग <sup>73</sup>: ₹3,00,000</p> <p>प्रति वाहन ₹12,000 तक की सब्सिडी उपलब्ध है।</p> <p>प्रभावी लागत: ₹28,80,000</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी<sup>74</sup>: 8.65 tCO<sub>2</sub>e</p>	<p>प्रभावी लागत: ₹14,40,000</p> <p>ग्रीन हाउस उत्सर्जन (जीएचजी) में कमी: 1.65 tCO<sub>2</sub>e</p>	<p>आवश्यकतानुसार</p>
--	--	----------------------



## ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर<sup>75</sup>

### चरण

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<p>1. उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/ लॉजिस्टिक मालिकों/उद्यमियों) को आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति संवेदनशील बनाकर डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्प में वृद्धि</p> <p>2. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा स्थापित करना ('आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से समझाया गया है)</p>	<p>आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना</p>	<p>आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों में निरंतर जागरूकता सृजन</p>

## अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

### लक्ष्य

कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक की खरीद	पहचानी गई आवश्यकताओं के अनुसार नियमित जागरूकता कार्यक्रम	पहचानी गई आवश्यकताओं के अनुसार नियमित जागरूकता कार्यक्रम
--	--	--

### अनुमानित लागत

<p>1. 5 ई-ट्रैक्टर: ₹30,00,000</p> <p>2. 5 ई-माल वाहक: ₹25,00,000 – ₹50,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹55,00,000– ₹80,00,000</p>	<p>आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना</p>	<p>आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना</p>
--	--	--

73 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत ₹1,50,000 से ₹4,00,000 या उससे ज्यादा होती है, जो कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार और अन्य चीजों पर निर्भर करती है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मुख्य रूप से परोपकारी संस्थाओं और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान/सीड कैपिटल/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखते हुए मूल्य बैंड के मध्य में मानी जाती है।

74 समुदाय से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रति ऑटो GHG उत्सर्जन ~1.73 tCO<sub>2</sub>e अनुमानित है। डीजल ऑटोरिक्शा के स्थान पर ई-ऑटोरिक्शा के उपयोग से यह उत्सर्जन कम हो जाएगा और पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या यहां तक कि कार्बन सकारात्मक बनने में योगदान मिलेगा।

75 अधिक जानकारी आजीविका एवं हरित उद्यमिता अनुभाग में पाई जा सकती है

## वर्तमान योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा के सहयोग से सड़क बुनियादी ढांचे की मरम्मत और सुधार किया जा सकता है
- यूपी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 में प्रावधान है
  - खरीदारों को 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
  - डीलरों के माध्यम से 1 वर्ष की अवधि में खरीदारों को (एक बार) प्रारंभिक पक्षी प्रोत्साहन के रूप में खरीद सब्सिडी<sup>76</sup> – ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹ 1,00,000 तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 10%; 2-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹ 5000 तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15%; 3-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹ 12000 तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15%
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण के चरण II (FAME II) योजना के तहत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का लाभ भी उठाया जा सकता है

## अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का संसाधन लिफाफा और ओएसआर
- सीएसआर निधि के साथ बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों से ऋण

## प्रमुख विभाग

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)

<sup>76</sup> सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी में समय-समय पर सब्सिडी की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन होते हैं। इसलिए, इस योजना के किसी भी खंड में उल्लिखित कोई भी सब्सिडी केवल सांकेतिक है, और खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।



# 7 आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना



कृषि और पशुपालन प्रथाएं ग्राम पंचायत का मुख्य आधार हैं और 85% से अधिक परिवार इन गतिविधियों में संलग्न हैं। लगातार सूखे, बदलती जलवायु एवं अस्थिर उत्पादन प्रथाओं से प्रभावित दोनों क्षेत्रों में (कृषि और पशुपालन) वर्तमान समय में आजीविका की असुरक्षा है इस प्रकार, आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत गैर-कृषि मजदूरी और स्थानीय व्यवसाय/दुकान चलाना हैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 350 व्यक्ति बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से पलायन कर चुके हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

वर्तमान में ग्राम पंचायत में उल्लिखित गतिविधियों के अलावा नौकरियों के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित सुझाव आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए लिए दिशा प्रदान करते हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:



## सतत उत्पादों के विनिर्माण में पहले से मौजूद स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

1. प्लास्टिक के विकल्प वाली सामग्रियों (बैग, घर की सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) से उत्पादों के निर्माण के लिए महिलाओं और स्व सहायता समूहों को सम्मिलित करना
2. पंचायत, महिलाओं, एसएचजी और स्थानीय उद्यमियों के बीच उद्यमिता साझेदारी मॉडल
3. क्षमता निर्माण:
  - » उत्पाद रेंज का विविधीकरण
  - » ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

लक्ष्य

### प्रारंभिक भागीदारी:

- » 100 महिलाएँ
- » 15 स्वयं सहायता समूह (वर्तमान में सिलाई, मुर्गीपालन, सामुदायिक शौचालय रख-रखाव गतिविधियों में सम्मिलित)
- » स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग

### इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- » अतिरिक्त 200 महिलाएँ
- » अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी



## जैविक कचरे से बनी खाद की बिक्री

अनुमोदित जलवायु  
स्मार्ट गतिविधियाँ

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता निर्माण
  - a. खाद और वर्मीकंपोस्टिंग तकनीक
  - b. ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

लक्ष्य

### तात्कालिक लक्ष्य:

घरेलू अपशिष्ट (जैविक) से उत्पादित कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट: 260 किग्रा प्रतिदिन; 7,800 किग्रा प्रतिमाह  
(वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)

### दीर्घकालिक लक्ष्य:

जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



## ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराये पर लेने की सुविधा

अनुमोदित जलवायु  
स्मार्ट गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टरों की वाणिज्यिक किराये पर (किराये के आधार पर) यूपी ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के तहत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों) को संवेदनशील बनाना

लक्ष्य

### तात्कालिक लक्ष्य:

1. 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: प्रति ई-ट्रैक्टर 6 लाख रुपये)
2. 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग 9.2 लाख रुपये)

### मध्यावधि लक्ष्य:

2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद



## डेयरी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के माध्यम से आजीविका में सुधार

अनुमोदित जलवायु  
स्मार्ट गतिविधियाँ

1. स्वयं सहायता समूहों, पशुपालन करने वाले परिवारों और किसानों के सदस्यों को सम्मिलित करके दुग्ध सहकारी समितियों/एफपीओ का गठन
2. डेयरी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना
3. एसएचजी/एफपीओ के लिए क्षमता निर्माण
  - » उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण (उत्पादों में पनीर, दही, घी आदि सम्मिलित हैं)
  - » ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

लक्ष्य

### तात्कालिक लक्ष्य:

- » 100 महिलाओं और किसानों को सम्मिलित करना
- » ग्राम पंचायत में उपस्थित 15 स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना
- » महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शन सत्र आयोजित करना
- » दूध और दूध उत्पादों का विनिर्माण, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन का एकीकरण

### दीर्घकालिक लक्ष्य:

- » विपणन संपर्क और वितरण नेटवर्क को बढ़ाना
- » आस-पास के गांवों/ब्लॉकों को कवर करके दुग्ध सहकारी/एफपीओ संचालन का विस्तार



## सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग से आजीविका में सुधार

अनुमोदित जलवायु  
स्मार्ट गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों में) को सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज स्थान किराए पर देने के माध्यम से उद्यमिता के अवसर
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच व्यापार मॉडल/गठबंधन

लक्ष्य

- 5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना  
(सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों का विनिर्माण के आधार पर टन)  
लागत: ₹8 से ₹15 लाख



## प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

अनुमोदित जलवायु  
स्मार्ट गतिविधियाँ

प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए

1. आरोग्य वन के विकास और रख-रखाव के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन
2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी

लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि पर आरोग्य वन की स्थापना



## विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और बायोगैस) का प्रचालन एवं रख-रखाव

अनुमोदित जलवायु  
स्मार्ट गतिविधियाँ

1. समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों को नवीकरणीय ऊर्जा रख-रखाव में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
2. केंद्र और राज्य सरकार की अपस्किंग योजनाओं एवं सीएसआर (CSR) के सहयोग से ग्राम पंचायत में सौर और बायो-गैस स्थापना और संचालन और रख-रखाव व्यवसायों की स्थापना

## वित्तपोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमिता और आजीविका (विभिन्न ऋण योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से) को सहयोग देने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना; सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना, आदि और डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) महिला उद्यमियों को सहयोग दे सकते हैं।
- सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे: मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल नवाचार मिशन के माध्यम से आवश्यक कौशल विकास प्रदान किया जाता है।



# विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

## 1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 77,78,79

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

## 2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्युबलाइट आदि को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- हरित जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी)।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

77 [https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium\\_Updated\\_20230922.pdf](https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf)

78 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

79 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय<sup>80</sup>, थार रेगिस्तान, राजस्थान का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायो का उपयोग किया गया है:

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छत पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

### सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़<sup>81</sup> :

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)

## 3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

#### हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र<sup>82</sup>:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

80 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

81 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

82 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

## 4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनलों लगाना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करते हैं जैसे की चारे की तैयारी और शेड संचालन करने में ऊर्जा की ज़रूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद का सकते हैं।

यह गतिविधि संस्तुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

**जिले: लुधियाना, भटिंडा और तरनतारन, पंजाब<sup>83,84</sup>**

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेडों जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

**निर्मल गुजरात अभियान<sup>85</sup>**

- गुजरात के हिममतनगर में पशु आवास गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु छात्रावास) में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)<sup>86</sup>" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना" है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशल्य द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

## 5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर<sup>87</sup>

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतों में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

83 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

84 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

85 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

86 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/cssscspssc>

87 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

## 6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण

- इन सम्पूरको के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है<sup>88</sup>।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹ 6 प्रति किलोग्राम है।

## 7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में <sup>89</sup>

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

## 8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

88 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

89 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>



## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना<sup>90</sup>

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

## 9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एफ़िफ़िसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्य योजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ा है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले<sup>91</sup>

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

## 10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे एवं स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

<sup>90</sup> <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

<sup>91</sup> <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)<sup>92</sup>

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाज़ार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

## 11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में<sup>93</sup>

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।




92 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

93 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>

# 7

## अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव





### जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

प्रस्तावित जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>94</sup>
<p>1. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को बढ़ावा देना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रकृति-आधारित समाधान (एन-बीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है</li> <li>• बेहतर भूजल पुनर्भरण</li> <li>• पानी की गुणवत्ता में वृद्धि</li> <li>• सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना</li> <li>• कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार</li> <li>• स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• लक्ष्य 6.1</li> <li>• लक्ष्य 6.3</li> <li>• लक्ष्य 6.4</li> <li>• लक्ष्य 6.5</li> </ul> <p><b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• लक्ष्य 11.4</li> </ul> <p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• लक्ष्य 12.2</li> </ul>
<p>2. जल निकायों का कायाकल्प और संरक्षण</p> 		<p><b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• लक्ष्य 13.1</li> <li>• लक्ष्य 13.2</li> </ul>
<p>3. जल निकासी और सीवेज अवसंरचना को बढ़ाना</p> 		<p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• लक्ष्य 15.1</li> <li>• लक्ष्य 15.5</li> </ul>



94 अनुलग्नक V में एसडीजी और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है




## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

प्रस्तावित जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>95</sup>
<p>1. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलभराव में कमी</li> <li>जल और भूमि प्रदूषण में कमी/ बेहतर स्वच्छता</li> <li>100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 3.3</li> <li>लक्ष्य 3.9</li> </ul> <p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.3</li> <li>लक्ष्य 6.8</li> </ul>
<p>2. बेहतर स्वच्छता प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>आजीविका और आय सृजन</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 8.3</li> </ul> <p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul>
<p>3. जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>राजस्व और लाभ सृजन</li> <li>सतत कृषि के लिए उन्नत आदान अपशिष्ट आधारित कृषि सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.4</li> <li>लक्ष्य 12.5</li> <li>लक्ष्य 12.8</li> </ul>
<p>4. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 		<p><b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul> <p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> </ul>





<sup>95</sup> अनुलग्नक V में एसडीजी और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है

## सतत कृषि

प्रस्तावित जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>96</sup>
1. कृषि के लिए सूखा प्रबंधन 	<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि<sup>97</sup></li> <li>मृदा स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार</li> </ul>	<b>एसडीजी 2: शून्य भूख</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 2.3</li> <li>लक्ष्य 2.4</li> <li>लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई</li> </ul>
2. प्राकृतिक खेती अपनाना 	<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि जल सुरक्षा में सुधार</li> <li>शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई</li> </ul>	<b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.4</li> <li>लक्ष्य 13.1</li> </ul>
3. सतत पशुधन प्रबंधन 	<ul style="list-style-type: none"> <li>वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई</li> </ul>	<b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>



## हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

प्रस्तावित जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>98</sup>
1. हरित आवरण में सुधार 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र</li> <li>सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी</li> <li>औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा</li> <li>बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस)</li> </ul>	<b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.7</li> <li>लक्ष्य 11.4</li> </ul>
2. जन जैवविविधता रजिस्टर 	<ul style="list-style-type: none"> <li>पशुधन उत्पादकता में सुधार</li> <li>कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन</li> <li>जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> </ul>	<b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> </ul> <b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul> <b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> <li>लक्ष्य 15.2</li> <li>लक्ष्य 15.3</li> <li>लक्ष्य 15.5</li> <li>लक्ष्य 15.9</li> </ul>









96 अनुलग्नक V में एसडीजी और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है

97 परिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी

98 अनुलग्नक V में एसडीजी और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है



# स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

प्रस्तावित जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>99</sup>
1. सोलर छत स्थापना 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऊर्जा सुरक्षा</li> <li>उष्ण आराम</li> <li>आजीविका के उन्नत विकल्प</li> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> <li>उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है</li> <li>विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी</li> <li>चुकौती/पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ</li> <li>घरों के अंदर वायु प्रदूषण में कमी</li> <li>सभी के स्वास्थ्य, मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है</li> <li>आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि</li> </ul>	<b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छ ता</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.4</li> </ul>
2. एग्रो-फोटोवोल्टिक की स्थापना 		<b>एसडीजी 7: किफायती और स्वच्छ ऊर्जा</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 7.1</li> <li>लक्ष्य 7.2</li> <li>लक्ष्य 7.3</li> <li>लक्ष्य 7.a</li> <li>लक्ष्य 7.b</li> </ul>
3. सौर पंप 		<b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul>
4. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग 		<b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
5. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर 		
6. सौर स्ट्रीट लाइट 		



99 अनुलग्नक V में एसडीजी और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है

# सतत और उन्नत गतिशीलता








प्रस्तावित जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>100</sup>
<p>1. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>जोखिम वाले और कमज़ोर व्यक्तियों के लिए बेहतर पहुंच</li> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> <li>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 7.2</li> </ul> <p><b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.2</li> </ul>
<p>2. ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के माध्यम से लचीलेपान में सुधार</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>



100 अनुलग्नक V में एसडीजी और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है



# आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना

प्रस्तावित जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>101</sup>
<p>1. सतत उत्पादों के विनिर्माण में पहले से मौजूद स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल के माध्यम से आजीविका के उन्नत विकल्प</li> <li>जल और भूमि प्रदूषण में कमी</li> <li>सतत कृषि के लिए उन्नत आदान</li> <li>100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 5: लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 5.5</li> </ul>
<p>2. जैविक कचरे से बनी खाद की बिक्री</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा</li> <li>कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन</li> <li>जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 8.3</li> </ul>
<p>3. ई-माल वाहक और ई-ट्रेक्टर किराये पर लेने की सुविधा</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> <li>लक्ष्य 12.4</li> <li>लक्ष्य 12.5</li> <li>लक्ष्य 12.8</li> </ul>
<p>4. डेयरी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के माध्यम से आजीविका में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
<p>5. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार</p> 		
<p>6. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 		
<p>7. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सोलर और बायो-गैस) का प्रचालन एवं रखरखाव</p> 		



101 अनुलमक V में एसडीजी और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है

कार्यान्वयन में प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियों/अनुशंसाओं से सतारी के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। सतारी के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर सतारी को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, सतारी जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के कार्यान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही सतारी को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

## अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

### पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के तहत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया<sup>102</sup>। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

सतारी के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना<sup>103</sup> का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

### कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़ील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: : मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।

<sup>102</sup> उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

<sup>103</sup> इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हितधारकों को जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
  - क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
  - ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
  - सतारी ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

# अनुलग्नक II: उत्तर सहित प्रश्नावली



## उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत : सतारी

विकासखण्ड : जैतपुर

जनपद : महोबा

### I. गाँव की रूप रेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत- समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	1
2	टोलों की संख्या	—
3	a कुल जनसंख्या	5634
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	2989
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	2645
	d विकलांगजन की जनसंख्या	38
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	1324
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	923
4	कुल परिवार की संख्या	771
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	BPL – 605 APL – 36
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	10.51 हेक्टेअर
6	a साक्षरता दर	61 प्रतिशत
7	a पक्का घरों की संख्या	417
	b कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	272 (खपरेल, मिट्टी, ईट)



## II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	639	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	24	
	अनुबंध खेती	11	
	दिहाड़ी मजदूर	143	
	अन्य व्यवस्था (रिहन, अधिया आदि)	13	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	—	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	18	
	कुटीर उद्योग	5	
	कृषि	639	
	कला/हस्तकला	15	
	पशुपालन	38	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	28	
	व्यवसाय/उद्यम	—	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	27	
	अन्य	—	
10	पलायन	हाँ	नहीं
a	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	हाँ	<input type="checkbox"/>
b	पलायन करने वाले स्थान	पिछले पांच वर्षों में पलायन करने वाले परिवार/व्यक्तिगत की संख्या	पलायन के मुख्य कारण
	अन्य गांव	बेलाताल	112
	निकट के शहर	कुलपहाड़	20 – 25
	राज्य के प्रमुख शहर	महोबा, कानपुर	179
	देश के प्रमुख महानगर	दिल्ली, अहमदाबाद	483
c	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	हाँ	नहीं
		<input type="checkbox"/>	नहीं
d	पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	कोई नहीं	
11	महिलाओं की स्थिति		
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत— महिला)	48	
b	खेती में कार्यरत महिला	कुल संख्या – 509	



	निजी भूमि / स्वयं की भूमि	250
	किराएकी भूमि / हुण्डा	18
	अनुबंध खेती	8
	दिहाड़ी मजदूर	375
	अन्य व्यवस्था	—
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	—
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या – 11
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	01
	कुटीर उद्योग	5
	कृषि	432
	कला / हस्तकला	13
	पशुपालन	9
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	6
	दैनिक / दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	143
	अन्य	—

2 स्वयं सहायता समूहों					
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹0)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1	जय गुरुदेव	11	समूह सदस्य	4800	✓
2	बजरंग बली	13	समूह सदस्य	1200	✓
3	विष्णु आजीविका	10	समूह सदस्य	1200	✓
4	सरस्वती माँ	11	समूह सदस्य	1200	✓
5	संतोषी माता	09	समूह सदस्य	1200	✓
6	गोमती	12	समूह सदस्य	1200	✓
7	राधा	12	समूह सदस्य	1200	✓
8	माँ दुर्गा	10	छुकान	1200	✓





13 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)						
एफ0पी0ओ0 का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की संख्या	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट-हार्विस्ट की गतिविधियाँ/ गतिविधियों का क्षेत्र	
-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	
-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	
-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	
-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	
-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	

14 अन्य समुदाय आधारित संगठन /						
	सामाजिक संगठन/ समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन/ समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	उत्पाद/ सेवा	विपणन/ लक्षित उपभोगकर्ता
1	भागवत प्रेरणा	✓	88×100	8800	-	-
	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-

15 योजनाएं						
a	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (₹0)	अन्य कोई बकाया (₹0)	की गई गतिविधियाँ/ कार्य
	मनरेगा	695	589	118389	-	खेत तालाब, मेड़, आवास, खेत इत्यादि
	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना/ एन. एफ.एस.ए.	-	-	-	-	-
	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	836	836	-	-	-
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	7	7	-	-	-
	प्रधान मंत्री कुसुम योजना	-	-	-	-	-





b	अन्य योजनाएं	—	—	—	—	—
	ग्राम उज्ज्वला योजना	—	—	—	—	—
	ऊर्जा दक्षता योजना	2	2	—	—	—
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	—	—	—	—	—
	प्रधानमंत्री आवास योजना	258	258	26880000	—	आवास
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0)	641	641	—	—	—
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	—	—	—	—	—
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	—	—	—	—	—
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	—	—	—	—	—
	मौसम आधारित फसल बीमा	—	—	—	—	—
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	—	—	—	—	—
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	—	—	—	—	—
	किसान क्रेडिट कार्ड	573	573	—	—	—
	स्वच्छ भारत मिशन	—	—	—	—	—
	सौर सिंचाई पम्प योजना	—	—	—	—	—
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	—	—	—	—	—





	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	-	-	-	-	-
	गोवर्धन योजना	-	-	-	-	-
	जल पुनर्भरण योजना	-	-	-	-	-
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	-	-	-	-	-
	समान्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	-	-	-	-	-
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	-	-	-	-	-
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	-	-	-	-	-
	उद्यमितता सहायतित योजनाएं आदि	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
16	सक्रिय बैंक खाताधारकों की संख्या	3742				
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यूपी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	1724				
8	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/क्रय केन्द्र का उपयोग होता है	यदि नहीं, तो बाजार/केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल(कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
	कुलपहाड़	हां	नहीं	नहीं है	-	10 किमी0
	-	<input type="checkbox"/>	✓	-	-	-
	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-





19 शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)					
	प्रकार/स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आऊट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आऊट के मुख्यकारण(स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य-(4) उल्लेख करें)
a	प्राथमिक विद्यालय	—	—	—	—
	कन्या प्राथमिक शाला	1525	127	कोई नहीं	—
	प्राथमिक शाला	1525	114	कोई नहीं	—
b	जू० हाई स्कूल	—	—	—	—
	जूनियर स्कूल सतारी	1440	218	कोई नहीं	—
c	हाई स्कूल	—	—	—	—
d	अन्य संस्थान	—	—	—	—

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—

21 राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता				
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति , अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
1	कुलपहाड़ – राठ रोड (NH -39)	राष्ट्रीय राजमार्ग	10 किमी०	खराब

### III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
a	वन का क्षेत्र	70 एकड़
b	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	68 एकड़
c	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	04 एकड़
d	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	01 एकड़
e	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	नहीं





f	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	नहीं		
<b>23 अन्य भूमि का वर्गीकरण</b>				
a	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	35 हे0		
b	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	नहीं		
c	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	आच्छादित क्षेत्रफल
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	कोई नहीं		
	अतिरिक्त सूचनाएं	कोई नहीं		
<b>24 जल निकाय क्षेत्र</b>				
	<b>विवरण</b>	<b>हां</b>	<b>नहीं</b>	
a	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	4		
c	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
d	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	—		
e	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	—		
<b>25 जल आपूर्ति</b>				
a	ग्राम पंचायतमें घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल—(2) <input checked="" type="checkbox"/> भूमिगत जल—(3) <input checked="" type="checkbox"/> तालाब/झील—(4) अन्य— (5)	भूमिगत जल छोटी पानी की टंकी		
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?			
c	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है? पाइप जलापूर्ति (1) ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3) महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैण्डपम्प (5) ऊँचा सतही जलाशय (6) कूआ (7)	1 — पाइप जलापूर्ति  3 — पानी टंकी		



	अन्य (8), उल्लेखित करें। अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	5 – हैण्डपम्प 6 – ऊँचा सतही जलाशय 7 – कुँआ
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	–
e	क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	संतोषजनक
f	पाइप जलापूर्ति की नियमितता 24×7 घण्टे(1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	2 – काफी नियमित
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल – (नलकूप (3A), कूआ (3B) तालाब/झील (4) पानी टैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	2 – वर्षा जल 3 B – कुँआ 7 – बोर
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	मौसमी
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/ अधिक या संतोषजनक है?	संतोषजनक
j	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है) क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया? क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	कोई नहीं

#### IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव			
26			
a	गर्मी के माह में देखा गया	–	
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	65	
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	तेज गर्मी	
27			
a	सर्दी के माह में महसूस किया गया		





b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	41	—	—
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)	पहले से तापमान में वृद्धि हुयी		

**28**

a	मानसून माह में महसूस किया गया	—		
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	24	—	—
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	वर्षा में कमी हुयी		

**29**

a	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	04	—	—
d	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	दिनों की संख्या	08	—	—
f	अन्य सूचनाएं/जानकारी	—		

**चरम मौसम की घटनाएं****30****सूखा**

a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में सूखा देखा गया	जुलाई , सितम्बर	—	—	—	—







c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन (निजी सहायता)			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	-	-	-	-	-
<b>31 बाढ़ –</b>						
	बाढ़ की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में बाढ़ देखा गया	-	-	-	-	-
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं	-	-
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	-	-	-	-	-
<b>32 भूस्खलन –</b>						
a	भूस्खलन की घटना नहीं	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई	-	-	-	-	-
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	-	-	-	-	-
<b>33 ओलावृष्टि –</b>						
a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई	-	-	-	-	-



c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>34 फसलों के कीट/बीमारी</b>						
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	सितम्बर, फरवरी	सितम्बर, फरवरी	सितम्बर, फरवरी	सितम्बर, फरवरी	सितम्बर, फरवरी
b	किस प्रकार के टिड़डी कीट/बीमारी को देखा गया?	माहू, थिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग पीला मोजेक	माहू, थिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग पीला मोजेक	माहू, थिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग पीला मोजेक	माहू, थिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग पीला मोजेक	माहू, थिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग पीला मोजेक
c	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	स्वयं खरीदकर उपयोग करते हैं।				
d	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं	-	-	-	-	-

<b>3 5 ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी -</b>					
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध हैं?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?	
	आपदा तैयारी के उपाय	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	आपातकाल अनाज बैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	अन्य	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



36	अनाज भण्डारण –	
a	ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?	
	अनाज (विवरण दें)	–
	तेल	–
	चीनी	–
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	–
b	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	

37	ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत	
	स्थानीय कृषि अधिकारी	–
	समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	समाचार पत्र
	मोबाईल फोन/एप	मोबाईल
	मौखिक	मौखिक
	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र	जैतपुर (बेलाताल)
	पशुपालन विभाग	–
	उद्यान विभाग	–
	अन्य	–

**कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)**

38	फसल हानि					
a	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी(2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम- गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु0)
	प्रथम वर्ष (2022)	खरीफ – सितम्बर	उड़द	पीला रोग	2 क्विन्टल/बीघा	8000/बीघा
	द्वितीय वर्ष (2021)	खरीफ – सितम्बर रबी – फरवरी	उड़द चना	पीला रोग पोड बोरर (तना छेदक)	2 क्विन्टल/बीघा 1 क्विन्टल/बीघा	8600/बीघा 4400/बीघा
	तृतीय वर्ष (2020)	–	–	–	–	–



	चतुर्थ वर्ष (2019)	—	—	—	—	—
	पंचवां वर्ष (2018)	—	—	—	—	—
<b>b</b>	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हाँ	नहीं	—	—	—
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी— बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	अधिक जानकारी नहीं		—	—	—

39 फसल पद्धति में बदलाव					
a	सामान्य फसल	खरीफ	रबी	जायद/अन्य ऋतु	
<b>b</b>	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है/देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	उड़द	जून माह के चौथे सप्ताह	हाँ	15 दिन देरी से	वर्षा की अनियमितता
	मूँग	जून माह के चौथे सप्ताह	हाँ	15 दिन देरी से	वर्षा की अनियमितता
	मूँगफली	जून माह के चौथे सप्ताह	हाँ	15 दिन देरी से	वर्षा की अनियमितता
	चना	अक्टूबर माह के चौथे सप्ताह	हाँ	15 दिन देरी से	वर्षा की अनियमितता
	मटर	अक्टूबर माह के चौथे सप्ताह	हाँ	15 दिन देरी से	वर्षा की अनियमितता
	सरसों	अक्टूबर माह के चौथे सप्ताह	हाँ	15 दिन देरी से	वर्षा की अनियमितता
		—	—	—	—
<b>c</b>	अन्य सूचना/जानकारी (विलुप्त फसल/प्रजाति आदि उल्लेख करें)	—			
40 सिंचाई प्रणाली/पद्धति में परिवर्तन					





a	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोगफव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया / एकड़)	पूर्व में सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया / एकड़)
		नहर	—	नहर	—
		वर्षा आधारित	—	वर्षा आधारित	—
		बोर	1200 रु० / एकड़	बोर	बोर / कुँआ 1000 रु० / एकड़
		कुँआ	—	कुँआ	—
b	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां
		30	✓	—	—
c	अन्य सूचनाएं / जानकारी अगर कोई है	—			

#### 41 पशु पालन/पशुधन

a	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)	08 परिवार (दुग्ध उत्पादन) 04 परिवार (अण्डा व्यवसाय, मुर्गी विक्रय) 06 परिवार (मछली व्यवसाय) 03 परिवार (सूअर व्यवसाय व विक्रय)	—	—	—	
b	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	1 2	23 18	आयु वृद्धि	मौसम दुर्घटना	2 – कमी
	द्वितीय वर्ष (2021)	—	—	—	—	—
	तृतीय वर्ष (2020)	—	—	—	—	—



	चतुर्थ वर्ष(2019)	—	—	—	—	—
	पंचम वर्ष(2018))	—	—	—	—	—
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	—	—	—	—	—
c	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम/ ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	1 – मुर्गी	86	सर्दी, वर्ड पलू	सर्दियों में	2 – कमी
	द्वितीय वर्ष(2021)	—	—	—	—	—
	तृतीय वर्ष (2020)	—	—	—	—	—
	चतुर्थ वर्ष(2019)	—	—	—	—	—
	पंचम वर्ष(2018))	—	—	—	—	—
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	—	—	—	—	—
d	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	—	—	—	—	—
	द्वितीय वर्ष(2021)	—	—	—	—	—
	तृतीय वर्ष (2020)	—	—	—	—	—
	चतुर्थ वर्ष(2019)	—	—	—	—	—
	पंचम वर्ष(2018)	—	—	—	—	—
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	—	—	—	—	—



## V. कृषि व पशुपालन

प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी											
42 a	फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु / मौसम	उपज (कु0)	उर्वरक उपयोग			कीटनाशक उपयोग			खरपतवारनाशी	
				उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)		खरपतवार नाशी के प्रकार
	1- गेहूँ 2- मटर 3- चना 4- सरसों	रबी	1-5 कु0 2-4 कु0 3-3 कु0 4-2 कु0	डी0ए0पी0 यूरिया	20 किग्रा/बीघा	01 - वृद्धि	Melathion Glyphosat	1 बोटल	1 - वृद्धि	1 बोटल	1 - वृद्धि
		खरीफ	1-50 किग्रा0 2-50 किग्रा0 3-50 किग्रा0 4-50 किग्रा0	यूरिया	30 किग्रा/बीघा	01 - वृद्धि	-	-	-	-	-
b	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाये जाते हैं	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input checked="" type="checkbox"/>		जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में जलाये जाते थे	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते/जागरूक है?				



43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां									
फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (रु० / कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित / सत्यापित					
-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-					
44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)									
फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुलाई, मल्लिङ्ग, फसल चक्र, अर्न्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसले, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि )	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)						
-	-	-	-						
-	-	-	-						
45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां									
पौध रोपण गतिविधियों के प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6) - उल्लेख करें	मोनोक्लचर (1), रोपित मिश्रित प्रजाति प्रजातियां (2)	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच/अवसर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण- लाभ में वृद्धि (1), लाभ में कमी (2), प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5)- उल्लेख करें
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक			
पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन
गाय (देशी नस्ल)	239	खुले में चराई, पशु आहार	6000/-प्रति माह पशुधन
गाय (संकर नस्ल)	-	-	-
भैंस (देशी नस्ल)	105	चराई, पशु आहार	12000/-प्रति माह पशुधन
भैंस (संकर नस्ल)	-	-	-
बकरी	433	खलु में चराई	8-10 हजार प्रति विक्रय पशुधन
सुअर	201	-	4-5 हजार प्रति विक्रय पशुधन
मुर्गी	70	-	5/- प्रतिदिन अण्डे
मत्स्य	4	-	-
भेड़	67	-	6000-8000 प्रति माह

#### VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47 जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)							
a	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
c	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन/फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
48 ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन							
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	-	-	-	-	-	-
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	कूड़ेदान सीमेन्ट	जलीदार	साईकिल गाड़ी	-	-	-





c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input checked="" type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन			
		हां	नहीं				
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति	2 किमी० की दूरी पर फेंकते हैं		
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—	
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	—	—	—	
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

#### 49 खुले में शौच मुक्त स्थिति

a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं	90 प्रतिशत है
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्रमुख स्थान .....
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हाँ		
e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)	—		

#### 50

#### अपशिष्ट जल

	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	08 ली०/व्यक्ति	—	—	—	—
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो—	—	—	—	—	—
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो—	—	—	—	—	—

#### 51

#### स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा

	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—





b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHO अनीता कुशवाहा 1200
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
d	आंगनवाड़ी	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03
e	आशा	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓ चाहिए है।
g	डिजीटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—

52 रोग/बीमारी									
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	57	12	29	16	CHO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b	जल-जनित रोग (हैजा/डायरिया/टाईफाइड/हैपेटाइटिस आदि)	11	02	08	01	CHO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c	श्वास सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	—	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	कृपोषण	—	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	300
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	—
	ए0सी0	—
	एयर कुलर	115
	रेफ्रिजरेटर/फ्रीज	56
54 विद्युत कटौती की आवृत्ति		
a	दिन में कुछ बार	<input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	4 घण्टे (2 – 2 घण्टे की शिफ्ट)
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	





55 वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है? (400 वोल्ट्स)			
	दिन में कुछ बार		<input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार		<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता/उतार-चढ़ाव नहीं		<input checked="" type="checkbox"/>
56 पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग		संख्या	
	डीजल चलित जेनरेटर		—
	सौर उर्जा		<input checked="" type="checkbox"/>
	इमरजेंसी लाईट		—
	इन्टवर्टर्स		28 – 32
	अन्य साधन (उल्लेख करें)		—
57 नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत			
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	—	—
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	—	—
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	—	—
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	लगी है पर चालू नहीं है	—
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	—	—
	सौर स्ट्रीट लाईट	105 लाईट	—
	बायोगैस	—	—
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	—	—
	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	—	—
b			
58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	90 प्रतिशत	—
	बायोगैस	—	—
	एलपीजी गैस	85 प्रतिशत	—
	विद्युत	04 लोग	—
	सौर उर्जा	—	—
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	—	—



59 वाहन की संख्या											
	वाहन के प्रकार		ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)						
a	जीप		06	डीजल	60 – 150 किमी0						
b	कार		18	डीजल, पेट्रोल	100 – 200 किमी0						
c	दो पहिया वाहन		613	पेट्रोल	अनियमित						
d	विद्युत चालित वाहन		–	–	–						
e	आटो		15	डीजल	50 – 60 किमी0						
f	ई-रिक्शा		04	विद्युत	20 किमी0 – 25 किमी0						
g	अन्य		–	–	–						
60 कृषि यंत्र											
	कृषि यंत्र		ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)						
a	टैक्टर		56	डीजल	12 – 15 किमी0						
b	कम्बाईन हारवेस्टर		–	–	–						
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें)		–	–	–						
61 ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)											
	ईंधन के प्रकार	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले गांव की संख्या	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/अवधि का उल्लेख करें)							
				टैक्टर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा	अन्य
a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62 औद्योगिक इकाई											
	उद्योग के प्रकार		संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)				उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)			
	–		–	–				–			



# अनुलग्नक III: एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट



## क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायत – सतारी  
क्षेत्र पंचायत – जैतपुर  
जनपद – महोबा (उ०प्र०)

2023–24



## खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विप्लेषण

### **जलवायु परिवर्तनशीलता – प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां/ झटके एवं तनाव**

ग्राम पंचायत सतारी में सभी मौसम, सर्दी, गर्मी, एवं बरसात का प्रभाव रहता है। 20 वर्ष पूर्व सर्दी नवम्बर माह से फरवरी-मार्च तक पड़ती थी किन्तु अब सर्दी देर से शुरू हो रही है, दिसम्बर माह में सर्दी शुरू हो रही है और जनवरी के बाद ही समाप्त हो जाती है। पहले बरसात मई माह से अगस्त माह तक एक दो दिन के अंतर पर होती रहती थी, सितम्बर में भी बारिश हो जाती थी। किन्तु वर्ष 2022 में बरसात के मौसम में मई-जून में बारिश हुई ही नहीं और जुलाई माह में एक-दो दिन में ही अधिक वर्षा हो गई फिर कई दिनों तक बारिश नहीं हुई जिससे सूखा जैसी स्थिति बन गई। खेती-किसानी करने वाले लोगों से पता चला कि आज से 20 वर्ष पहले खरीफ की फसल में लोगों को सिंचाई नहीं करनी पड़ती थी किन्तु 2022 में खरीफ की फसल में अनियमित वर्षा का प्रभाव पड़ा है जिससे खरीफ की फसल अब बहुत कम क्षेत्र में होती है तथा बार बार सिंचाई करना पड़ती है। गांव के लोग ने बताया कि पहले गर्मी मई-जून से लेकर अगस्त तक होती थी। किन्तु अब गर्मी 15 मार्च के बाद से सितम्बर तक रहती है।

विभिन्न प्रक्रिया के तहत पीआरए विधियों का उपयोग करते हुए विभिन्न टूल्स के माध्यम से सम्पादित की गई गतिविधियों से प्राप्त सूचना एवं प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर जलवायुगत आपदा खतरा जोखिम प्रोफाइल में अपेक्षित सूचनाओं का संकलन किया गया। आपदा-खतरा जोखिम प्रोफाइल से संबंधित सूचनाएं निम्नवार हैं –

#### **1. गांव को प्रभावित करने वाली अपदाओं की पहचान करना एवं इनका प्राथमिकीकरण**

समुदाय के साथ उन आपदाओं के बारे में विस्तृतरूप से चर्चा व विचार-विमर्श किया गया जिनसे उनकी दैनिक दिनचर्या, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं साफ सफाई आदि प्रभावित होते हैं। चर्चा के आधार पर आपदाओं की एक सूची प्राप्त हुई। इस सूची में सम्मिलित आपदाओं के प्रभाव को एवं इनसे उत्पन्न समस्याओं की तुलनात्मक रैंकिंग को देखते हुए उनका प्राथमिकीकरण किया गया। इस गांव की मुख्य आपदा अनियमित वर्षा एवं सूखा है। इससे खेती, आजीविका, स्वास्थ्य एवं पेयजल, साफ सफाई आदि में जोखिम की संभावना बढ़ जाती है।

#### **आपदा का इतिहास एवं क्षति**

समुदाय के साथ उन आपदाओं के बारे में विस्तृतरूप से चर्चा व विचार-विमर्श किया गया जिनका अबतक व्यापक प्रभाव समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ा है और जिनकी क्षति अभी तक लोग भूल नहीं पाएं हैं। ग्राम सतारी में वर्ष 1979 में यहां पर सूखा की बड़ी घटना हुई। इसमें 157 हे० की खेती प्रभावित हुई तथा 650 लोग प्रभावित हुए। उसके बाद से पिछले वर्षों 2018, 2021 में एवं 2022 में सूखे ने लगभग पूरे गांव को प्रभावित किया है। 1980 में बहुत तेज आंधी-तूफान की घटना हुई, जिसमें पूरा गांव प्रभावित हुआ था। जनधन का भारी नुकसान हुआ। जिसमें 2-3 बच्चों की मौत हो गई थी।

विस्तृत विवरण – 04 पर देखें।

आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर निम्न आपदाएं ग्राम पंचायत सतारी को प्रभावित करते हैं –

आपदा का नाम	जन०	फर०	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
सूखा												
लू												
शीत लहर												
ओला												

आंधी तूफान												
अनियमित वर्षा												

आपदा का ऐतिहासिक मानचित्रण, मौसमी कैलेंडर बनाने से एवं उस दौरान समुदाय से हुई चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि कम दिनों में अधिक वर्षा, वर्षा विहिन दिनों की संख्या में वृद्धि तथा चरम पर तापमान पहुंचने से बहुत सारी समस्याओं का सामना गांव को करना पड़ रहा है।

सूखा इस ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या है। जो प्रत्येक वर्ष समुदाय के आवागमन, खेती एवं मजदूरी को पूरी तरह प्रभावित करती है। साथ ही मई-जून में अत्यधिक गर्मी का पड़ना, सामान्यतः मानसून के दिनों में जून-जुलाई में वर्षा का न होना, कम होना आदि सूखा पड़ने के संकेत विगत कई वर्षों से प्रतीत हो रहे हैं जिसका दूरगामी प्रभाव सिंचाई, पेयजल, खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुपालन के चारे का संकट बनकर पूरे वर्ष झेलना पड़ रहा है। पिछले 10 वर्षों से प्रत्येक वर्ष खरीफ की फसल सूखा से प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रबी की फसल में आंधी-तूफान एवं ओला पत्थर, पाला, तेज गर्मी एवं लू के कारण कम पैदावार की संभावना भी बहुत अधिक बनी रहती है। शीतलहर से पशुपालन मुख्यतः बकरीपालन प्रभावित हो रहा है, अर्थात् बकरियों का बहुत नुकसान होता है।

## 2. जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन

उपरोक्त आपदाओं के आधार पर होने वाले नुकसान, संभावित जोखिम, समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव एवं उनसे प्रभावित समुदाय, संसाधन आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त किया गया। यह जानकारी समुदाय के सभी वर्गों महिला, पुरुष, दलित एवं वंचित समुदाय की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किये गये हैं।

आपदाओं का ग्राम पंचायत सतारी के पर्यावरण, बुनियादी एवं आधारभूत संरचना के साथ ही मानवजीवन, आजीविका, एवं स्वास्थ्य आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जलजमाव, सूखा, शीतलहर एवं लू आदि आपदाओं का सतारी ग्राम पंचायत के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों पर इनके विभिन्न प्रकार से जोखिम की संभावना बनती है। इसे गांव के लोगों ने माना है कि जोखिमों से उन्हें प्रतिवर्ष तरह-तरह के नुकसान सहना पड़ता है जो निम्न प्रकार है-

## खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं

क्र.सं.	आसन्न आपदा/ खतरे	संभावित जोखिम का क्षेत्र	प्रभाव के क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
1.	सूखा	पेयजल	खाद्यान्न संकट, आजीविका संकट, पेयजल संकट, बच्चों की पढाई में संकट, आर्थिक स्थिति पर संकट।	सम्पूर्ण गांव	सभी परिवार	तालाब, समस्त हैण्डपम्प, कुआ
2.	आगजनी		पशु का नुकसान, जंगल नष्ट होना, पशुचारा, वन	प्रभावित क्षेत्र	-	17 किमी <sup>0</sup> के परिक्षेत्र में वन

			आधारित आजीविका			
3.	लू		आगजनी की घटना में वृद्धि जानवर पशुचारा पेयजल स्वास्थ्य सेवाएं	सम्पूर्ण गांव	—	जंगल जानवर चारागाह मनुष्य, पक्षी
4.	कोरोना		जन हानि	सम्पूर्ण गांव	—	—
5.	शीत लहर		मनुष्यों एवं पशुओं को बीमारीयों का सामना करना पड़ता है।	सम्पूर्ण गांव	सभी परिवार	40—50 बकरियां 05— गाय 03— भैंस
6.	अनियमित वर्षा		खरीफ फसल का नष्ट होना रबी फसल को प्रभावित करती है।	सम्पूर्ण गांव		

### आजीविका के साधनों पर आपदा का प्रभाव

इस क्षेत्र के आजीविका का मुख्य साधन कृषि, कृषिगत मजदूरी एवं पशुपालन है। सूखा के दौरान आजीविका हेतु लोग पलायन करते हैं। आजीविका के साधन आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जिससे संबंधित सूचनाएं संकलित कर संलग्न की गई है।

### विस्तृत विवरण संलग्नक -05

#### नाजुकता विश्लेषण

आपदाओं का बार-बार सामना करने से उससे प्रभावित समुदाय सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। समुदाय ग्राम पंचायत को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाने की दिशा में नाजुक समुदाय, नाजुक संसाधन, नाजुक स्थल आदि को जानना अति आवश्यक था। इसे जानने के लिए पुनः समुदाय, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आदि की मदद से नाजुक वर्ग, जाति, लिंग, उम्र, आय के आधार पर गांव में नाजुक स्थल, एवं आपदा के कारण प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायत में स्थित संसाधनों एवं उनकी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

- गांव की मुख्य सड़क जो 10 किमी० दूरी पर झांसी मिर्जापुर राजमार्ग से जुड़ी हुई है तथा पंचायत भवन तक सम्पर्क मार्ग अपेक्षाकृत ऊँचा है एवं गांव से निकली हुई नहर के किनारे किनारे है।
- शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं निजी विद्यालय भी सड़क के किनारे किनारे है तथा उत्तर की दिशा में स्थित है इसका विकास अनियोजित ढंग से हुआ है। समुदाय के साथ चर्चा से यह निकलकर आया कि प्राथमिक विद्यालय अनियोजित ढंग से बना है जो मुख्य नहर के पानी से प्रभावित होता है इस कारण कभी कभी बच्चों को विद्यालय जाने में समस्याएं आती हैं।
- सतारी से बौरा गांव को जाने वाली सड़क कभी कभी वर्षा के दिनों में नहर मे पानी आने के कारण

## सूखा

समुदाय के साथ चर्चा से यह तथ्य निकल कर आया कि सूखा गांव की पहली बड़ी आपदा है। आज से 20 वर्ष पहले वर्षा जून माह से सितम्बर माह तक होती रहती थी, अक्टूबर में भी बारिश हो जाती थी। किन्तु अब बरसात अनियमित और असमय होती है। विगत 6-7 वर्षों से वर्षात के मौसम में जून में वर्षा हुई ही नहीं और जुलाई माह में एक-दो दिन में ही अधिक वर्षा हो गई फिर कई दिनों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सूखा जैसी स्थिति बन रही है। सूखे की स्थिति में निम्नलिखित गतिविधियां और वृद्धि कर रही हैं।

- गांव के खेतों में मेड़बंधी जैसी जलसंरक्षण की गतिविधियों की कमी है।
- गांव में बाग-बागीचा नहीं के बराबर है। कहीं-कहीं पर दो-तीन फलदार वृक्ष एवं नीम, पीपल आदि भी है जो सभी सामाजिक मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। निजी भूमि पर वृक्षों की संख्या बहुत कम है। यत्र-तत्र नीम, आम आदि के पेड़ लगे हैं।
- गांव में कुल 06 कुएं हैं, जो भूमिगत जलस्तर को दर्शाते हैं। इसमें से केवल 3 कुएं का पानी साफ है। शेष कुओं का उपयोग ग्राम वासी नहीं कर रहे हैं अधिकांश जगह पर पाइप लाईन से सप्लाई मिल रही है। इसके अतिरिक्त 03 कुएं में पानी के साथ पालीथिन, गंदगी, खरपतवार, मिट्टी आदि से भरा हुआ है। परिणाम स्वरूप कुएं की जलधारण क्षमता प्रभावित हो रही है।
- वृक्षारोपण, पौधरोपण का अभाव है। सड़कों के किनारे, खेतों के मेड़ों पर कृषि व सामाजिक वानिकी का अभाव है।
- खेतों में केवल रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है।

## सूखा का समुदाय पर प्रभाव

- पेयजल प्रभावित हुआ है। गर्मी के दिनों में 9 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प पेयजल सप्लाई के द्वारा सूखे के समय में भी ग्रामवासियों को पेयजल की सुविधा बनी रहती है सामान्यतया सभी जल स्रोतों का जलस्तर नीचे चला जाता है एवं पेयजल की कठिनाई बनी रहती है।
- जानवरों को चारा का संकट हो जाता है तथा तापमान बढ़ने से पशुओं को विभिन्न प्रकार की बिमारियां हो जाती हैं और दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है।

## लू

लू दूसरे नम्बर पर गांव को प्रभावित करने वाली आपदा है। समुदाय के साथ चर्चा से यह निकल कर आया कि गर्मियों के दिनों में 15 मई से 15 जून तक तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है व गर्म हवाएं चलने लगती हैं।

इससे समुदाय के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव एवं पशुओं को लू लगने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है, विशेषकर छोटे बच्चों के टीकाकरण आदि में बाधा आती है। पशुओं को चारा की एवं पेयजल हेतु पानी की समस्या होती है।

## शीतलहर

शीतलहर गांव को प्रभावित करने वाली तीसरे नम्बर की आपदा है। सर्दियों के मौसम में 15 दिसम्बर से 15 जनवरी तक शीतलहर का प्रभाव रहता है। शीतलहर मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य के साथ साथ कृषि को भी प्रभावित करता है।

शीतलहर के प्रभाव से प्रत्येक वर्ष पशुपालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। शीतलहर में ठण्डी से औसतन प्रत्येक वर्ष 40-50 बकरियों की मृत्यु हो जाती है।

गाय-भैंसों के दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। शीतलहर के कारण कृषिकार्य, मजदूरी, आदि आजीविका प्रभावित होती है। बच्चों में निमोनिया, खांसी एवं दस्त की समस्या हो जाती है। फसलों पर मुख्यतः दलहन पर पाले का प्रभाव पड़ता है, परिणामस्वरूप पौधों की बढ़वार थम जाती है, फसल सूख जाती है। कीट-पतंगों का प्रकोप बढ़ जाता है। जलौनी हेतु महिलाओं को अधिक मेहनत करनी पड़ती है।

**उपरोक्त के अतिरिक्त समुदाय की व्यवहारगत एवं ढांचागत संरचना में कमियां हैं जो कि निम्नवार हैं –**

- गांव में समुदाय आधारित संस्थाओं की कमी है। कृषि केन्द्र, बीज केन्द्र, किसान संगठन, सामुदायिक अनाज बैंक, युवा मण्डल दल, महिला मण्डल, धार्मिक मण्डल, आदि सामाजिक संगठन की कमी है। इस कारण आपदा के समय समुदाय को सरकारी एवं बाह्य सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है।
- लोगों में जानकारी एवं जागरूकता का अभाव है, लोगों को कृषिगत, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव है। जिससे समुदाय की नाजुकता अत्यधिक बढ़ जाती है। लोग पशुपालन तो करते हैं, किन्तु नस्ल सुधार, पशुओं का बीमा, फसलबीमा आदि की जानकारी न के बराबर है।
- वैकल्पिक एवं सौर ऊर्जा संबंधित गतिविधियां नहीं हैं। यहां 80 प्रतिशत से अधिक घरों पर पक्की छत है। जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। सड़क के किनारे प्रकाश हेतु एवं सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा के प्रयोग की प्रबल संभावना है।
- गांव में सूखा एवं गीला कचरा एक साथ ही इकट्ठा होकर गलियों, सड़कों एवं खड्गजा आदि के किनारे पड़ा रहता है। लोगों में कचरा प्रबंधन की जागरूकता का अभाव है। परिणामस्वरूप मानसून के दिनों में यह कचरा बहकर जल निकास तंत्र को बाधित करता है एवं जलजमाव की समस्या को बढ़ाता है।
- मानसून के दिनों में जलजनित, मच्छर-मक्खियों जनित बीमारियों की आशंका बनी रहती है। यहां टायफाइड, मलेरिया, सांस संबंधित बीमारियां होती रहती हैं।
- गांव में अधिकांशतः मुख्य फसलें गेहूँ सरसों, चना एवं मटर ही उगाते हैं। खेती में विविधता, मिश्रित खेती, एवं मिश्रित फसलों एवं कम लागत, स्थाई कृषि आदि सम्बंधित गतिविधियां नहीं हैं। जिससे किसानों को आपदा के समय जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- कृषिगत गतिविधियों में उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है।
- गांव में गाय, भैस, आदि पशुपालन होने के बावजूद भी गोबर का प्रयोग जैविक खाद एवं कम्पोस्ट खाद बनाने हेतु नहीं करते हैं बल्कि सड़कों के किनारे ढेर लगाकर रखा रहता है या कण्डे के रूप में प्रयोग करते हैं।
- प्राथमिक विद्यालय के पास आंगनवाड़ी भवन बना हुआ है, जो कि पूरी तरह से जर्जर है, इसमें बना शौचालय एवं बरामदा भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। 0-6 साल के 88 बच्चों आंगनवाड़ी कार्य कत्री के घर आते हैं, जहां विभिन्न स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा सुविधा में समस्या आती है। सीपेज वाले क्षेत्र में पोषाहार रखे जाने से इसके गुणवत्ता में कमी आती है।
- कृषि परामर्श एवं मौसम पूर्वानुमान चेतावनी तंत्र के अभाव है। जिसके कारण समय पूर्व सूचना एवं जानकारी नहीं मिलती है।
- इसी प्रकार कृषि परामर्श एवं मौसम पूर्वानुमान आदि चेतावनी तंत्र के अभाव में यहां के लोगों की नाजुकता में वृद्धि करता है।
- गांव में जनसुविधा केन्द्र के नहीं होने से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी से लोग वंचित रह जाते हैं।

- ग्राम स्तर पर लघु/सूक्ष्म उद्योग, पारम्परिक रोजगार में कमी, जैसे गांव में घड़े बनाना, रस्सी बनाना, लोहार, बढ़ई नहीं है।

#### 4. क्षमता विश्लेषण

- आपदाओं के सन्दर्भ में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की दृष्टि से गांव स्वयं में कितना सक्षम है, इसकी जानकारी हेतु समुदाय के साथ मिलकर समग्र ग्राम पंचायत का क्षमता आकलन किया गया। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले आपदाओं एवं खतरों से गांव के साथ ही आसपास उपलब्ध संसाधन भी प्रभावित होते हैं। यह संसाधन भौतिक, पर्यावरणीय एवं मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध होते हैं। इनकी पहचान होने से आपदा के खतरों से निपटने में आसानी होती है अर्थात् यह संसाधन मददगार होते हैं।
- ग्राम पंचायत सतारी झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से 10 किमी० दक्षिण की ओर स्थित है, जिला मुख्यालय से 40 किमी० होने के कारण विकास के सभी कार्यों के लिए महोबा या विकासखण्ड जैतपुर जाना पड़ता है। इस गांव में ग्रामीणों की सुविधा के लिए सामुदायिक शौचालय, बच्चों के शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय, एक निजी विद्यालय है। लोगों के आवागमन हेतु गांव में खडुन्जा, इन्टरलॉकिंग मुख्य सड़कें हैं। ग्राम पंचायत सतारी में अधिकांशतः लगभग 50 प्रतिशत घर पक्के मकान हैं। इन्हीं मुख्य सड़कों के बीच में जल निकासी हेतु नहर/नाला बना है, कई स्थानों पर सड़क भी टूटी हुई है जिसके कारण वर्षा के दिनों में आवागमन में समस्या होती है। नाले के कारण जलनिकासी भी बाधित है। क्यों कि नाले में अधिकांशतः कूड़ा/कचड़ा डाल दिया जाता है सुरक्षित पेयजल हेतु पंचायत भवन के पूरब तरफ एक पानी की टंकी है जिससे आधे गांव में पानी की सप्लाई है। गांव में सामुदायिक जल आपूर्ति हेतु 15 टेंटी भी है। घरों में भी पानी की सप्लाई है। इसके साथ ही हैण्डपम्प भी पेयजल हेतु गांव में उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत में कुल छोटे-बड़े चार तालाब हैं। गांव में आम, अमरुद, महुआ, नीम आदि के वृक्ष हैं तथा उनसे लोग फल पत्ती आदि निजी उपयोग के लिए प्राप्त कर लेते हैं संगठन के तौर पर ग्राम पंचायत में 15 स्वयं सहायता समूह गठित हैं इनकी बैठकें एवं क्रिया कलाप नियमित चल रहे हैं तथा सभी ने बैंक से ऋण आदि प्राप्त करके स्वरोजगार के कार्य शुरू कर दिए।

#### सुविधा संसाधन मानचित्र से लिए गए आंकड़े एवं तथ्य

विशेषकर संसाधनों के सन्दर्भ में किये गये क्षमता आकलन को तीन भागों में विभक्त किया गया, जिसमें गांव में उपलब्ध भौतिक एवं पर्यावरणीय संसाधनों को सामाजिक मानचित्रण एवं सुविधा मानचित्र पर अंकित किया गया, जबकि मानव संसाधन के बारे में समुदाय के साथ चर्चा कर सूचनाएं प्राप्त की गयीं, जो निम्न प्रारूप पर दर्ज है –

#### भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से दूरी

विवरण	कुल संख्या	सम्पर्क व्यक्ति का नाम, नम्बर	गांव से दूरी

अस्पताल सरकारी	01	अनीता कुशवाहा	10 किमी0
अस्पताल प्राईवेट	03	—	10 किमी0
स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र	01	श्रीमती गायत्री ए0एन0एम/6386324797	0 किमी0
दवा की दुकान	02	वीरेन्द्र कुमार उपाध्याय पवन कुमार राजपूत	0 किमी0
डाक्टर	03	डॉ0 कमलेश सक्सेना	10 किमी0
एम्बुलेंस सेवा	01	108	10 किमी0
पुलिस थाना	01	112 विनोद कुमार प्रजापति	10 किमी0
फायर स्टेशन	01	101	10 किमी0
स्कूल	03	नीतेन्द्र चौबे - 9936080867 खलक सिंह - 9651067558	0 किमी0
सामुदायिक उप स्वास्थ्य केन्द्र	01	डॉ0 पी0 के0 राजपूत	20 किमी0
पावर स्टेशन	01	—	10 किमी0
पानी की टंकी	01	शिवम कुमार	0 किमी0
बस स्टाप	01	—	10 किमी0
कुलपहाड़ रेलवे स्टेशन	01	—	14 किमी0
सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकान	01	लाल बहादुर - 6393177483	0 किमी0
सरकारी बीज गोदाम	01	कालका प्रसाद	10 किमी0

### प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता संख्या एवं दूरी

क्र.सं.	संसाधन का नाम	संख्या	विवरण / नाम / संपर्क संख्या	दूरी
1.	<b>भौतिक संसाधन</b>			
	● ग्राम पंचायत भवन / सामुदायिक केन्द्र	1	संदीप कुमार पाण्डेय	0 किमी0
	● चारागाह	2		03 किमी0
	● आंगनबाडी केन्द्र	4	रमाा देवी (9198016405)	0.1 किमी0
	● प्राथमिक विद्यालय	2	भूपेन्द्र कुमार सैनी (9651825173)	0.5 किमी0
	● जूनियर हाईस्कूल	0		0.5 किमी0
	● इण्टरमीडिएट कालेज	0		00 किमी0
	● प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1		01 किमी0
	● मन्दिर	6		0.1 किमी0
	2.	<b>पर्यावरणीय संसाधन</b>		
● ताल-तलैया		2		0.1 किमी0
● पोखरा		2		0.1 किमी0
● नदी		0		
● नाला		3		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जंगल</li> <li>● कृषिगत क्षेत्र</li> <li>● खुला क्षेत्र/सामुदायिक भूमि</li> </ul>	गांव के दोनों तरफ — —	01 किमी0 745 हे0
3.	<b>मानव संसाधन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● डाक्टर</li> <li>● अप्रमाणिक डाक्टर</li> <li>● भूतपूर्व सैनिक</li> <li>● आंगनबाडी कार्यकर्त्री</li> <li>● शिक्षक</li> <li>● ग्राम पंचायत प्रतिनिधि</li> <li>● युवक मंगल दल</li> <li>● आशा बहू</li> <li>● ए.एन.एम.</li> </ul>	0 1 1 3 10 15 — 02 01	अरुण गंगेले(9005199792) मुलिया (9793427615) अरविन्द कुमार (अनुदेशक)

आपदा के समय सुविधाओं व उपलब्ध संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह सुविधाएं आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि इन सुविधाओं से समुदाय लाभान्वित हो रहे है कि नहीं और ये सुविधाएं समुदाय की पहुंच मे है कि नहीं। संसाधनों से जुड़े तथ्यों की यह पूरी प्रक्रिया समुदाय की सहभागिता के आधार पर पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित होती है जिसका पूरा विवरण संकलित किया गया है।

#### वित्तीय संसाधन :

ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष 2022–2023 में उपलब्ध होने वाले संभावित वित्तीय संसाधनों के विवरण निम्न प्रकार होंगे।

क्रम.	मद का नाम	2021–2022 में प्राप्त आवंटित धनराशि	2022–2023 में अपेक्षित धनराशि (10 प्रतिशत वृद्धि के साथ)
1.	15 वां वित्त आयोग	रु0 800000	रु0 900000
2.	राज्य वित्त आयोग	रु0 900000	रु0 1100000
3.	मनरेगा	रु0 100000	रु0 1500000

## क्लाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत सतारी जिला महोबा की कार्य योजना का निर्माण

क्लाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत सतारी की कार्य योजना बनाने हेतु ग्राम पंचायत का भ्रमण किया गया तथा ग्रामवासियों, मुख्य पदाधिकारियों एवं बुजुर्गों एवं महिलाओं के साथ चर्चा की गई जिसमें ग्राम पंचायत की समस्याएं मुख्य मुख्य जोखिम तथा सूचनाएं प्राप्त हुईं तत्पश्चात सभी की सहमति से एवं ग्राम प्रधान की सहायता से निम्न कार्य योजना बनायी गयी।

क्रम.	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
1.	मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा-साफ-सफाई एवं स्वाच्छता	नाली निर्माण	05 किमी० एवं सडक के बाच में पुलिया निर्माण	05 किमी०	08 लाख	02 माह	मनरेगा/ग्राम निधि
2.	मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा-साफ-सफाई एवं स्वाच्छता	शौचालय निर्माण	160 नये निर्मित घरों में शौचालय निर्माण। पानी की कमी को ध्यान में रखते हुये सभी लक्षित घरों में शौचालय निर्माण करनते समय रुरल पैन एवं सोख्ता गद्ढा का ही निर्माण किया जाये।	लाभार्थी का घर लगभग 160	प्रति परिवार शौचालय 20000	06 माह	एस०बी०एम०
3.	मानव विकास एवं सामाजिक	वर्मीकम्पोस्ट (20 यूनिट)	मिट्टी में नमी बनाये रखने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर	20 लाभार्थी का	04 लाख रू०	01 से 02 वर्ष	मनरेगा/ग्राम निधि

	सुरक्षा-साफ-सफाई एवं स्वाच्छता		20 वर्मीकम्पोस्ट पिट का निर्माण								
4.	मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा-साफ-सफाई एवं स्वाच्छता	नाडेप कम्पोस्ट (20 यूनिट)	मिट्टी में नमी बनाये रखने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 20 नाडेप पिट का निर्माण	20 लाभार्थी का	02 लाख रु०	01 से 03 वर्ष	मनरेगा / ग्राम निधि				
5.	01 लाख वृक्षारोपण	वृक्षारोपण	छायादार, फलदार एवं सूखा सहनशील वृक्षों का रोपण	ग्राम पंचायत की जमीन एवं किसानों की मेड़ एवं खेतों पर	30 लाख रु०	01 से 03 वर्ष	मनरेगा				
<b>क्रम.</b>	<b>कार्य का क्षेत्र</b>	<b>कार्य का नाम</b>	<b>कार्य का विवरण</b>	<b>परिसम्पत्ति का स्थान</b>	<b>अनुमानित धनराशि</b>	<b>अवधि</b>	<b>योजना का परिव्यय</b>				
6.	संरचनात्मक मुद्दे	तालाब गहरीकरण (6.47 हे०)	तालाबों को 03 फीट गहरा एवं तलहटी में 6 इंच काली मिट्टी की परत डालना ताकि पानी के सीपेज को रोका जा सके।	05 हे०- बिहारी जू तालाब 0.41 हे०- पुखरिया 0.427 हे०- चौपड़ा 0.627 हे०- खपरयाउ	58 लाख	लगभग 03 से 04 माह	मनरेगा / ग्राम निधि				
7.	पेयजल एवं स्वच्छता	हैण्डपम्प रिबोर एवं सोकपिट निर्माण 20 यूनिट	हैण्डपम्प का रिबोर करना एवं साथ में पानी को रोकने के लिए सोखता गढ़वा निर्माण	20 यूनिट रिबोर एवं सोकपिट	12 लाख	लगभग 02 से 03 माह	15 वित्त आयोग				

8.	संरचनात्मक मुद्दे	खेत तालाब निर्माण	आवेदनकर्ता किसानों के खेत में तालाब निर्माण	लाभार्थी का खेत — 05	11.25 लाख	लगभग 02 से 03 माह	मनरेगा
9.	संरचनात्मक मुद्दे — ग्राम सतारी के अन्दर बेलासागर मुख्य नहर की खुदाई, सफाई एवं आर.सी.सी. एवं कवर्ड करके पूरा करना।	आर0सी0सी पुल/रपटा उच्चीकरण ग्राम सतारी के अन्दर बेलासागर मुख्य नहर की खुदाई, सफाई एवं आर.सी.सी. एवं कवर्ड करके पूरा करना।	रपटा का उच्चीकरण करना।	1400 मी0(कवर्ड)	लगभग 60 लाख	06 माह से 01 वर्ष	पी0डब्ल्यू0डी0 एवं राज्य सेतु निगम, सिंचाई विभाग।
10.	पेयजल, गृह वाटर मैनेजमेन्ट	पेयजल पाइप लाइन मरम्मत एवं नवीनीकरण	सभी घरों तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टूटी-फूटी पाइपों की मरम्मत एवं नई लाईन बिछाना।	सम्पूर्ण गांव लगभग 10 किमी0	15 लाख	01 वर्ष से 02 वर्ष तक	15 वित्त आयोग जल जीवन मिशन
11.	पेयजल	टंकी एवं समरसेबिल	स्थानों पर समरसेबिल लगाकर टंकी का निर्माण	जल जीवन मिशन द्वारा कार्य चल रहा है।	25 लाख	06 माह	15 वित्त आयोग
12.	संरचनात्मक मुद्दे	पशु आश्रय स्थल	व्यक्तिगत स्तर पर पशु की क्षमता वाले पशु आश्रयस्थल का निर्माण	लाभार्थी का घर 50 पशु शेड	01 करोड़	लगभग 02 से 03 वर्ष	मनरेगा/ग्राम निधि / पशुपालन विभाग

13.	संरचनात्मक मुद्दे	इण्टरलॉकिंग रोड	मुख्य रोड से पम्प हाउस तक 10 मीटर तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण	पंचायत भवन से सामुदायिक शौचालय तक 900 मी0	10 लाख	06 माह	ग्राम निधि
14.	आय एवं रोजगार	बकरी बाड़ा (20 यूनिट)	व्यक्तिगत स्तर पर 20 बकरी बाड़ा का निर्माण	ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर	21 लाख	06 माह	मनरेगा
15.	संरचनात्मक मुद्दे	फ्लड वाल निर्माण	नाली के पानी को गांव में जाने से रोकने के लिए 250 मीटर फ्लड वाल का निर्माण		उपलब्ध संसाधन के आधार पर 10 लाख	03 माह	भूमि संरक्षण
16.	संरचनात्मक मुद्दे 02 - बारात घर नवनिर्माण	बारात घर निर्माण	वर्षा जल संग्रहण ढांचा सहित.....वर्ग फीट में पक्का बारात घर निर्माण		20 लाख	03 माह	विधायक / सांसद निधि
17.	संरचनात्मक मुद्दे	पशुचारा भण्डारण 01 यूनिट	30 X 10 फीट के 03 पशुचारा भण्डारण का निर्माण	स्थान में	03 लाख रूपए	03 माह	मनरेगा
18.	संरचनात्मक मुद्दे	मेंडबन्दी	आवेदनकर्ता 50 किसानों के खेत में मेंडबन्दी	लाभार्थी का खेत 50 हेक्टेअर	15 लाख रु0	01 से 02 वर्ष	मनरेगा
19.	संरचनात्मक मुद्दे	बायो गैस		50 लाभार्थी	06 लाख		
20.	भरवा नाला, भटी नाला	चेकडैम नवनिर्माण व मरम्मत एवं सफाई	03 नवनिर्मित चेकडैम व 01 मरम्मत व सफाई हेतु चेकडैम	लक्ष्मीनारायण मिश्रा जी के यहाँ मरम्मत	68 लाख	06 माह	15वां वित्त आयोग / मनरेगा
21.	संरचनात्मक मुद्दे	मृदा क्षरण को रोकने के लिए स्पील वे निर्माण	15 किसान	लाभार्थी के खेत में 50 स्पील वे	05 लाख	01 से 03 वर्ष	मनरेगा

22.		कुटीर उद्योग	जड़ी बूटी एवं नवग्रह लकड़ी	01 यूनिट	01 लाख रु0	-	
23.		धर्मशाला	फॉरेस्ट टूरिस्ट	01	05 लाख रु0	-	
24.	-	आर0 ओ0 प्लान्ट	-	01 यूनिट		-	
25.	-	ब्यायाम शाला	-	01 यूनिट	20 लाख	-	
26.	-	कचड़ा निस्तारण केन्द्र	-	01 यूनिट	03 लाख	-	
27.	-	शौचालय	-	160 यूनिट	03 लाख 20 हजार	-	
28.	-	बी0आर0सी0 केन्द्र	-		70 हजार	-	
29.	-	सोलर प्लेट	10 परिवार	10 जगह	25 लाख	06 माह	नेडा
30.	संरचनात्मक मुद्दे	डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट	50 किसान	01 यूनिट	20 लाख	-	दुग्ध विभाग
31.							

32.	आय एवं रोजगार	सूखा सहनीय बीजों एवं प्रजातियों की उपलब्धता	सूखा स्थितियों से निपटने हेतु सूखा सहनीय बीजों एवं प्रजातियों की उपलब्धता	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत के किसान के लिए 01 बीज बैंक	03 लाख	02 माह	कृषि विभाग से जुड़ाव
	-	01 बीज बैंक					

## क्लाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया

### वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत सतारी के लिए आपदा जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु गांव में एक माहौल बनाने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत सदस्यों के माध्यम से दिनांक 09/02/2023 को ग्राम में सूचना दी गयी। सभी लोग दिनांक 13/02/2023 को पंचायत भवन में उपस्थित हुए।

### ग्राम सभा की खुली बैठक

दिनांक 13/02/2023 को ग्राम सचिवालय, सतारी में आयोजित ग्राम सभा की खुली बैठक में कुल 48 लोगों (पु0-26 ,महिला-17 ,विकलांग – 01, बच्चे – 04) ने भाग लिया। जिसमें गांव के मुख्य मुख्य व्यक्ति जैसे रिटायर्ड अध्यापक तथा कृषक महिलाएं, बिजली विभाग के प्रतिनिधि ग्राम पंचायत के सदस्य एवं स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

विस्तृत संलग्न संख्या 01 पर देखें।

### ट्रंजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

पूरी ग्राम पंचायत सतारी का भ्रमण किया गया जिसमें ग्राम पंचायत का भौगोलिक दूरी लगभग 03 से 05 किमी0 है। ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण आबादी गांव से निकली हुयी नहर के दोनों ओर बसी हुयी है और पूरा गांव लम्बाई में बसा हुआ है। गांव के नहर के किनारे किनारे मुख्य सड़क है जो एक ओर ग्राम बौरा से जुडी हुई है तथा दूसरी ओर जंगल की ओर चली गयी है जो कि आगे जाकर बेलाताल रोड से जुडी हुयी है। गांव के दक्षिण की दिशा में एक ऊँचा पहाड़ है जिसके ऊपर एक मन्दिर और आश्रम है।

विस्तृत विवरण संलग्नक -02

### सामाजिक मानचित्रण

ग्राम के लोगो को समूह में बांट कर के चार्ट पेपर पर सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका प्रदर्शित है-

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहद्दी का क्षेत्रफल	17.334 हेक्टेअर	गांव की बसाहट का क्षेत्रफल मिलाकर
कुल वार्डों की संख्या	15	सम्पूर्ण गांव के वार्ड
कुल घरों की संख्या	998	सम्पूर्ण गांव
कुल पक्के घरों की संख्या	723	वार्डों के पक्के छत वाले मकान
कुल कच्चे घरों की संख्या	79	खपरैल एवं दीवार कच्ची
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	68	अन्त्योदय परिवार
विकलांग जनों की संख्या	58	11 महिला एवं 47 पुरुष
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	63	सभी वार्ड



इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	124	सम्पूर्ण गां
--------------------------	-----	--------------

### जातिगत/श्रेणीगत विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	128
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	598
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	272
कुल घरों की संख्या	998

संलग्नक – 03 पर देखें

### संलग्नक – 01

#### वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत सतारी आपदा जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु गांव में एक माहौल बनाने के लिए प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत सदस्यों के माध्यम से सभी वार्डों में दिनांक 13/02/2023 को ग्राम सभा की खुली बैठक आयोजित करने की सूचना दी गयी। पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार प्रत्येक वार्डों के लोग ग्राम पंचायत भवन पर एकत्र हुए।

#### खुली बैठक

दिनांक 13/02/2023 को ग्राम सचिवालय सतारी में आयोजित ग्राम सभा की खुली बैठक में कुल 48 लोग (पु0- 26 महिला- 17 बच्चे- 01 विकलांग- 04) ने भाग लिया। जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए वातावरण निर्माण की दृष्टि से आयोजित इस बैठक का प्रारम्भ करते हुए ग्राम प्रधान संदीप कुमार पाण्डेय ने सर्वप्रथम उपस्थित समुदाय के सभी लोगो का स्वागत किया। तत्पश्चात चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना प्रत्येक वर्ष बनती है और उसके लिए खुली बैठक की जाती है। परन्तु इस बार हम जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने की बात कर रहे हैं अर्थात हम अपने ग्राम पंचायत में घटित होने वाली आपदाओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने की बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें जलवायु परिवर्तन, आपदा से उत्पन्न समस्याएं, उन समस्याओं से निपटने के बारे में जानना आवश्यक होगा। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम उन कार्यों को भी अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करेंगे, जिससे आपदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। आगे उन्होने यह भी कहा कि विगत वर्षों से सूखा जैसी उत्पन्न समस्याएं जैसे खाद्यान्न संकट, पेयजल का संकट आदि बढ़ता जा रहा है। अतः हमें अपने नियमित कार्यों के साथ इन समस्याओं से निपटने के लिए भी एकीकृत कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता होगी।

हम सभी आज इसी बात के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं और जी पी डी पी बनाने के लिए अगले दो-तीन दिन तक हम सब मिलकर के काम करेंगे। हम चाहते हैं कि गांव का प्रत्येक वर्ग चाहे वह बुजुर्ग हों, युवा हो, महिलाएं हों, दलित समुदाय हों, सबकी सहभागिता इस पूरी प्रक्रिया में बनी रहे ताकि हम अपने ग्राम पंचायत में होने वाली आपदाओं पर विस्तार से बातचीत करें और समस्याओं को सही ढंग से समझ पाएं। उसी के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजना में कार्य को किए जाने की संभावनाएं तलाशी जाए तदानुसार कार्य योजना बनाई जाए। खुली बैठक के दौरान लोगों ने भी विगत दो दशकों में जलवायु में हो रहे बदलाव की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले जितनी वर्षा होती थी अब वह काफी कम हो गई है, पानी का स्तर नीचे चला गया है। पानी न होने की वजह से खेती किसानों में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अंत में ग्राम पंचायत सचिव एवं वार्ड सदस्य द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए खुली बैठक को समाप्त किया गया और आगे की प्रक्रिया के लिए गांव भ्रमण हेतु चलने की बात की गई ताकि गांव की वास्तविक स्थिति को प्रथम दृष्टि से देख करके समझा जा सके।



**ग्राम पंचायत समितियों का विवरण –**

क्र.सं.	नियोजन एवं विकास समिति	शिक्षा समिति	निर्माण कार्य समिति
1.	संदीप कुमार (प्रधान) – अध्यक्ष	संदीप कुमार – अध्यक्ष	भगवानदास – अध्यक्ष
2.	सावित्री – सदस्य	राजेन्द्र – अध्यक्ष	आरती – सदस्य
3.	हरगोविन्द सेन – सदस्य	उर्मिला – सदस्य	सावित्री – सदस्य
4.	शिवम सिंह – सदस्य	सविता – सदस्य	शिवम सिंह – सदस्य
5.	आरती – सदस्य	हरगोविन्द सेन – सदस्य	लोकेन्द्र सिंह – सदस्य
6.	सरोज – सदस्य	भगवानदास – सदस्य	सविता – सदस्य
7.	लोकेन्द्र सिंह – सदस्य	चन्द्रशेखर – सदस्य	हरगोविन्द – सदस्य
	<b>स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति</b>	<b>जल प्रबंधन समिति</b>	<b>प्रशासनिक समिति</b>
1.	अवधरानी – अध्यक्ष	1. लोकेन्द्र – अध्यक्ष	1. संदीप कुमार – अध्यक्ष
2.	राजेन्द्र – सदस्य	2. अवधरानी – सदस्य	2. शिवम कुमार – सदस्य
3.	रामअवतार – सदस्य	3. सावित्री – सदस्य	3. सावित्री देवी – सदस्य
4.	सरोज – सदस्य	4. शिवम सिंह – सदस्य	4. आरती – सदस्य
5.	चन्द्रशेखर – सदस्य	5. भगवानदास – सदस्य	5. भगवानदास – सदस्य
6.	सविता – सदस्य	6. आरती – सदस्य	6. लोकेन्द्र सिंह – सदस्य
7.	आरती – सदस्य	7. हरगोविन्द – सदस्य	7. सविता – सदस्य

**ग्राम पंचायत सदस्यों के नाम –**

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	मोबाईल संख्या
1.	अवधरानी	रामाधीन	8824968972
2.	सावित्री	लीलाधर	6386324871
3.	सरोज	कल्याण सिंह	9569405994
4.	चन्द्रशेखर	हरिदास	9695702537


5.	उर्मिला	चन्द्रशेखर	9695702537
6.	लोकेन्द्र सिंह	कुन्दन सिंह	6351861714
7.	शिवम सिंह	मर्दन सिंह	6386400258
8.	सविता	महेन्द्र कुमार	8738027437
9.	भगवानदास	आत्मराम	9198633456
10.	हरगोविन्द	मूंगालाल	9794034915
11.	श्रामअवतार	बिसन सिंह	9452154144
12.	टारती	प्रेमचन्द्र	8299822726
13.	राजेन्द्र	सुखलाल	7752857351
14.	दीपा (पंचायत सहायक)	—	8299876910
15.	सुनीता देवी (सफाई कर्मी)	—	9956960882

## संलग्नक – 02

### ट्रान्जेक्ट वॉक

ग्राम पंचायत भवन सतारी में बैठक के उपरान्त ग्राम वासियों द्वारा 02 भ्रमण टीम बनाई गयी और ग्राम का भ्रमण किया गया। गांव मुख्य रूप से एक ही मजरे में बसा हुआ है तथा गांव में 13 वार्ड हैं गांव के मुख्य – मुख्य रास्तों से भ्रमण करने के लिए ग्राम वासियों के साथ सर्वे टीम नहर के किनारे –2 चलने वाली सड़क पर आगे बढ़ी। मुख्य सड़क से बायीं ओर जाने वाली रास्ते पर आंगनबाड़ी केन्द्र के किनारे –02 टीप दक्षिण दिशा में बस्ती के अन्दर जाते हुए लगभग 50 मीटर तक आगे गयी है यहां पर लगभग – 2 सभी के मकान पक्के बने हुए हैं। टीम आगे बढ़ते हुए रास्ते के अन्त में अस्पताल के समीप तक पहुंची यहां पर अधिकांश एवं अनुसूचित जाति के परिवारों के हैं यह रास्ता और आगे गौशाला तक चला गया है दूसरी टीम मुख्य सड़क के किनारे किनारे प्राईमरी स्कूल के आगे पहुंची, बायीं ओर आगे एक अथाई है जहां पर गांव के लोगों की विभिन्न अवसरों पर बैठक होती है अथाई के दाहिने तरफ ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते हुए एक राशन की दुकान है एवं आंगनबाड़ी केन्द्र है। ऊपर कच्चे – पक्के मकानों की बस्ती है और रास्ता ऊपर पहाड़ी की ओर चला गया है। नीचे अथाई की बायीं ओर पुनः रास्ता बस्ती ओर जाता है। यह रास्ता आगे बढ़ते हुए पोस्ट ऑफिस के पास से होते हुए चुरारी गांव की ओर चला गया है इस रास्ते में सबसे अन्त में 1.5 किमी० दूर एक पहाड़ है जिसमें एक मन्दिर बना हुआ है यहां भी कुछ कच्चे व पक्के मकान है। दूसरी टीम पुनः मुख्य रास्ते से आगे बढ़ते हुए बौरा ग्राम पंचायत की ओर आगे बढ़ते हुए बौरा ग्राम पंचायत की ओर गयी है। बौरा की ओर जहां पर रास्ता मुड़ता है उसके पहले से एक रास्ता ग्राम भरवारा की ओर भी जाता है। इस रास्ते पर भी बायीं ओर एक तालाब है जिसे अमृत सरोवर बनाया जा रहा है। तथा दाहिने ओर एक नहर है जो आगे गांव की ओर जाती है। यहां पर नहर में तथा नहर के किनारे बहुत सा कूड़ करकट जमा है जो गांव के वातावरण को प्रदूषित करता है यहां निकट ही एक सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। यह मुख्य रास्ता आगे चल कर ग्राम बौरा के तालाब की ओर चला गया है। बायीं ओर बाजार तथा दुकानें हैं। दाहिनी ओर नहर तथा नहर के उस पास कच्चे व पक्के मकान बने हुए हैं। गांव में भ्रमण के दौरान गांव में पेड़ पौधों की संख्या पर्याप्त दिखाई दी जिसमें नीम, आम, पीपल, खजूर, बबूल, कनेर, जामून, अमरुद, पपीता, बेर आदि के पौधे दिखाई दिए। गांव में गाय, भैंस, बैल, बकर, भेड़ आदि पर्याप्त दिखाई दिए बकरी पालन ज्यादा संख्या में करते हैं। खेती की जमीन में अधिकांशतः गेहूँ, मटर, चना, सरसों आदि की फसल बोई जाती हैं।

### ट्रान्जेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गयी स्थितियां

<p>बसाहट</p>	<p>इस गांव की मुख्य आबादी गांव से निकलने वाली नहर तथा बायीं ओर गांव से 02 किमी0 दूर एक पहाड़ी बसी हुयी है नहर के किनारे किनारे गांव की मुख्य सड़क है जो कि ग्राम पंचायत भवन से एवं ग्राम बौरा को जोड़ती है इस सड़क के किनारे किनारे बायीं ओर कुछ गलियां निकली हैं जो आगे बस्ती में जाती है और पहाड़ के नीचे से निकले चरारी भरवारा मार्ग से जड़ जाती हैं। नहर के किनारे रास्ता</p>
<p>तालाब</p> 	<p>तालाब को तालाब के किनारे उसमे पहाड़ी के किनारे पानी निकली करती है कुएं, गहरा रहता है रुका हुआ पानी स्या बन प्रदूषित</p>
<p>सरकारी भवन</p>	<p>ग्राम पंचायत भवन गांव के पूर्वी किनारे की ओर बसा हुआ है जिसमें पीछे जूनियर हाई स्कूल स्थित है भवन अच्छी व उपयोगी है मुख्य सड़क के किनारे एक प्राथमिक विद्यालय तथा आंगनबाडी केन्द्र है जहां पर बच्चों को शिक्षा एवं पोषक आहार आदि प्राप्त होता है। ऊपर पहाड़ी पर एक आंगनबाडी केन्द्र तथा एक नीचे बस्ती के अन्दर आंगनबाडी केन्द्र स्थित है भवन भी ठीक ठाक बने हुए हैं।</p>
<p>जंगल एवं पहाड़</p>	<p>गांव के पूर्व एवं उत्तर की ओर वन विभाग की भूमि लगभग 68 एकड़ क्षेत्रफल है जहां पर वन विभाग से जंगल लगा हुआ है 04 एकड़ के क्षेत्रफल में सार्वजनिक उपयोग हेतु जमीन है जहां से लोगों को वन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं जंगल क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र में एक पहाड़ी है जिससे सतारी ग्राम की बस्ती लगी हुयी है।</p>

**सामाजिक मानचित्रण**

ग्राम पंचायत सतारी के बारे में एक सामान्य एवं आधारभूत जानकारियां समझ बनाने के लिए समुदाय की सहभागिता से सामाजिक मानचित्रण किया गया।

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहद्दी का क्षेत्रफल	12.41 हेक्टेअर	गांव की बसाहट का क्षेत्रफल मिलाकर
कुल वार्डों की संख्या	13	सम्पूर्ण गांव के वार्ड
कुल घरों की संख्या	771	सम्पूर्ण गांव
कुल पक्के घरों की संख्या	417	वार्डों के पक्के छत वाले मकान
कुल कच्चे घरों की संख्या	272	खपरैल एवं दीवार कच्ची
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	36	अन्त्योदय परिवार
विकलांग जनों की संख्या	38	07 महिला एवं 31 पुरुष
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	48	सभी वार्ड
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	54	सम्पूर्ण गांव

**जातिगत / श्रेणीगत विवरण**


सामान्य जाति के घरों की संख्या	117
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	462
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	192
कुल घरों की संख्या	771

सामाजिक मानचित्रण के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि सतारी ग्राम पंचायत में कुल 771 घर हैं। जिसमें 32 प्रतिशत की आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है गांव में वर्तमान में 41 प्रतिशत खपरैल के मकान हैं।

ग्राम पंचायत सतारी में ब्राम्हण, रैक्वार, हरिजन, पाल, कुशवाहा आदि निवास करती हैं यहां की साक्षरता दर महिलाओं हेतु 48 प्रतिशत एवं पुरुषों में 81 प्रतिशत है गांव के किनोर वन क्षेत्र लगा हुआ है तथा जंगली पशुओं के कारण ग्राम वासियों कृषि कार्य में कठिनाई होती है। पेयजल व्यवस्था भी अभी सुचारु रूप से नहीं चल रही है तथा गांव की आधी आबादी पेयजल की कठिनाई से प्रभावित है।

आजीविका के साधन	व्यक्ति की संख्या
सरकारी नौकरी	11
छोटे उद्योग-धन्धे	05
कृषि आधारित	432
कला एवं शिल्पकार	13
पशुपालन	09
लोकल दुकान	06
गैर कृषि मजदूरी	143
अन्य	

### आजीविका के साधन







#### संलग्नक-4

#### आपदाओं की ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाक्रम

आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के बाद समुदाय के साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया कि ये आपदाएं इस ग्राम पंचायत को कब से प्रभावित कर रही हैं। इस क्रम में इन आपदाओं का ऐतिहासिक समयरेखा जानने का प्रयास किया गया, जिसमें समुदाय ने माना कि सूखा जैसी आपदाएं हैं, जो लगातार प्रभावित कर रही हैं। हाल के वर्षों में लू एवं शीतलहर का प्रकोप भी ग्राम पंचायत को झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ विगत दो वर्षों से कोरोना नामक बीमारी भी आपदा ही हो गयी है, जिसमें लोग अपने घरों में



बन्द हो गये थे। इसका सबसे अधिक प्रभाव खेती में तैयार उत्पाद के लिए बाजार न मिलने के रूप में था। इसके साथ ही शहर, गांव सभी बन्द हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। प्राप्त सूचनाएं निम्नवत् है -

क्र.सं.	वर्ष	आपदा / खतरा	घटनाओं के कारण	मृतको की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1.	1967	सूखा	बारिश नहीं हुई थी	0	पूरा गांव	209 हे0 फसल प्रभावित हुयी	-
2.	1979	सूखा	बारिश नहीं हुई थी	0	पूरा गांव		तालाब गहरीकरण एवं काम के बदले अनाज योजना।
3.	1980	बाढ़	अपर कैचमेंट क्षेत्र में भारी बारिश हुई जिससे गांव के सभी बन्धी टूट गई और मिट्टी का कटाव हुआ जिससे उत्पादन में कमी आई।	02	पूरा गांव	187 हे0 फसल नष्ट हुयी।	कच्चा रोड सुधार और सरकार द्वारा राहत वितरण।
4.	2008	सूखा	बारिश कम हुई	0	पूरा गांव	210 हे0 भूमि पर फसल की बुवाई नहीं हो सकी।	पानी संचयन के लिए चेकडैम खेतों में मेड़बन्दी
5.	2020	आंशिक सूखा	बारिश का कम होना तालाबों में सीपेज अधिक होना एवं कुओं और हैण्डपम्प का जल स्तर नीचे जाना।	0	पूरा गांव	फसल की बुवाई प्रभावित हुई।	कुओं का निर्माण पेयजल हेतु हैण्डपम्प रिबोर एवं समरसेबिल लगाना एवं साथ में पानी संग्रहण हेतु टंकी बनाना।
6.	2022	सूखा	जुलाई माह में सूखा रहा जिससे बुवाई का कार्य प्रभावित रहा। इसके उपरान्त वर्षा हुई फसल की बुवाई हुयी लेकिन पुनः अक्टूबर के माह में अतिवृष्टि हो गयी जिससे खरीफ की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गयी एवं रबी की फसल की बुवाई में देरी हुयी जिससे रबी	0	पूरा गांव	खरीफ की फसल सम्पूर्ण नष्ट हो गयी।	कुओं से सिंचाई व्यवस्था के लिए पम्पसेट एवं बोरिंग के माध्यम से कृषि सिंचाई के प्रयास किए गए। सरकारी सहायता से सिंचाई यन्त्रों की व्यवस्था।

		की फसल भी अच्छी नहीं है।				
--	--	--------------------------	--	--	--	--

संलग्नक – 05

क्र० सं०	आजीविका के प्रकार	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है ?
				अधिक	मध्यम	कम	
1.	कृषि	771	सूखा				<ul style="list-style-type: none"> <li>● सूखा पड़ने से खेत की फसल सूख जाती है।</li> <li>● उत्पादन में घट जाता है।</li> <li>● फसल की बुवाई नहीं हो पाती है।</li> <li>● फसल की बढ़वार रुक जाती है।</li> </ul>
			शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> <li>● फसलें झुलस जाती हैं।</li> <li>● अरहर में पाले की समस्या होती है।</li> <li>● सरसों में माहू का प्रकोप बढ़ जाता है।</li> <li>● फसलों की बढ़वार प्रभावित होती है।</li> <li>● मसूर की फसल पर पाले का प्रभाव पड़ता है।</li> </ul>
2.	मजदूरी	191	सूखा				<ul style="list-style-type: none"> <li>● कृषिगत मजदूरी का कार्य नहीं मिलता है।</li> <li>● खानपान पर प्रभाव पड़ता है।</li> <li>● आजीविका प्रभावित होती है।</li> <li>● आर्थिक संकट उत्पन्न होता है।</li> <li>● पलायन करना पड़ता है।</li> </ul>
			शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> <li>● काम नहीं मिलता है।</li> <li>● स्वास्थ्य खराब रहता है।</li> <li>● खर्च बढ़ जाता है।</li> </ul>
3.	पशुपालन (गाय, भैंस, बकरीपालन, मुर्गीपालन आदि)		सूखा				<ul style="list-style-type: none"> <li>● चारे का अभाव हो जाता है।</li> <li>● पशुओं के दूध उत्पादन में कमी आ जाती है।</li> <li>● पशुओं को नहलाने के लिए पानी की कमी हो जाती है।</li> <li>● अधिक गर्मी पड़ने के कारण बीमारी ज्यादा होती है।</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>• मुर्गी के चूजे मर जाते हैं एवं बीमारी अधिक होती है।</li> </ul>
			शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> <li>• पशुओं में बीमारी अधिक होती है।</li> <li>• पशुओं के लिए चारे की समस्या हो जाती है।</li> <li>• पशुओं के दूध उत्पादन में कमी आ जाती है।</li> <li>• बकरियों में पोकना रोग हो जाता है जिससे बकरी कमजोर हो जाती है और मृत्यु हो जाती है।</li> <li>• सर्दी के कारण मुर्गी के बच्चे मर जाते हैं।</li> </ul>
4.	स्वयं का व्यवसाय (छोटी दुकान आदि)		सूखा			<ul style="list-style-type: none"> <li>• खुला हुआ माल खराब हो जाता है।</li> <li>• सामान लाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ जाता है।</li> <li>• व्यवसाय मन्द पड़ जाता है।</li> </ul>
			शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> <li>• व्यवसाय मंद पड़ जाता है।</li> </ul>

#### आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव

उपरोक्त तालिका में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तय की गई प्राथमिकता के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि सूखा इस ग्राम पंचायत के लिए एक बड़ी आपदा के रूप में विद्यमान है जिसे समुदाय ने सर्वाधिक अंक प्रदान किया है अर्थात् सूखे का प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र पर सर्वाधिक देखा जा रहा है। इसके बाद क्रमशः आगजनी एवं लू गांव के लिए आपदा है।

#### रिपोर्ट टीम का नाम –

1. डॉ० अरविन्द खरे
2. रुद्र प्रताप मिश्रा
3. जगन्नाथ प्रसाद यादव
4. शोभित कुमार
5. धर्मेन्द्र कुशवाहा

#### संस्था का नाम – ग्रामोन्नति संस्थान महोबा

Page No.: 25

# अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	--	---	-----------------------------------

## हरित स्थान और जैवविविधता को बढ़ाना

1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p><b>चरण 1:</b> वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p><b>चरण 2:</b> भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p><b>चरण 3:</b> भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)<sup>104</sup>= ₹ 70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)<sup>105</sup></p> <p>= ₹ 1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹ 1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण की क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO<sub>2</sub>e)</p> <p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> <li>300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है।</li> <li>लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है।</li> </ul>		
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं )</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत<sup>106</sup> = ₹ 40,000/हेक्टेयर<sup>107</sup></p>	

104 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

105 लागत बाजार भाव के अनुसार

106 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

107 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	-----------------------------------

## सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p><b>चरण 1:</b> कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<b>₹1 लाख प्रति हेक्टेयर</b>	
2	बांधों का निर्माण	<p><b>चरण 1:</b> सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p><b>चरण 2:</b> सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p><b>चरण 3:</b> मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है</li> <li>- ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं।</li> </ul>	<b>1 मी. मेड़बंदी के लिए<sup>108</sup> = ₹150</b>	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p><b>चरण 1:</b> 5-10 तालाब</p> <p><b>चरण 2:</b> 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m<sup>3</sup></p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	<b>1 कृषि तालाब का निर्माण<sup>109</sup> = ₹90,000</b>	
4	मिनी मौसम निगरानी स्टेशन की स्थापना	<p><b>चरण 1:</b> एक मिनी मौसम निगरानी स्टेशन की स्थापना</p> <p><b>चरण 2:</b> एक मिनी मौसम निगरानी स्टेशन का नियमित रखरखाव</p> <p><b>चरण 3:</b> एक मिनी मौसम निगरानी स्टेशन का नियमित रखरखाव</p>	<b>1 मिनी मौसम स्टेशन की लागत<sup>110</sup> = ₹1,50,000</b>	

108 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

109 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

110 <https://www.indiamart.com/proddetail/mini-automatic-weather-station-2707861533.html>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
5	जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाना	<p><b>चरण 1:</b> कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹ <b>60,000</b></p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹ <b>33,000</b></p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--&gt; प्रति एकड़ लागत = ₹ <b>2,500</b></p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---&gt; प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹ 1,00,000 कुल लागत<sup>111</sup>: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e-&gt;2.471 * 1,00,000 = ₹ <b>2,47,100</b></p>	

## जल प्रबंधन और जल निकायों का कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p><b>चरण 1:</b> सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p><b>चरण 2:</b> सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई )</p> <p><b>चरण 3:</b> 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<p>10 m<sup>3</sup> क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत<sup>112</sup> = ₹ <b>35,000</b></p> <p>1 पुनर्भरण गड्डे की लागत<sup>113</sup> = ₹ <b>35,000</b></p>	
---	---------------------------------------	---	---	--

111 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी ( UPSOCA\_Tariff\_20March.pdf (apeda.gov.in) ) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

112 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

113 एचआरवीसीए से प्राप्त इनपुट के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<b>चरण 1:</b> जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ) <b>चरण 2:</b> जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव <b>चरण 3:</b> जल निकायों का निरंतर रखरखाव	अनुमानित लागत <sup>114</sup> : 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = <b>₹7 लाख</b> 2. 1 रिटेंशन तालाब (300 मीटर <sup>3</sup> क्षमता) का निर्माण = <b>₹7 लाख</b> 3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = <b>₹1,200 प्रति यूनिट</b> 4. रखरखाव की लागत: a. 1 तालाब/जल निकाय = <b>₹3,75,000</b> b. 1 प्रतिधारण तालाब = <b>₹50,000</b> c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = <b>₹20 प्रति यूनिट</b>	
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	<b>चरण 1:</b> मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण) <b>चरण 2 और 3:</b> चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	

## सतत और उन्नत गतिशीलता

1	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्शा	1 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत: ~₹ 3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक	
2	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	<b>चरण 1:</b> डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना <b>चरण 2 और 3:</b> निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹5 से 10 लाख	

114 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत



क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	-----------------------------------

## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<p><b>चरण 1:</b></p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के तहत 100% घरों को शामिल करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्कैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या = कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है</p> <p>स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p><b>चरण 2:</b></p> <p>a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई</p> <p>b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>e. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत</p> <p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।</p>	
		<p><b>चरण 3:</b></p> <p>a. रखरखाव कार्य</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत<sup>115</sup>:</p> <p>1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹ 95,000 से 1,00,000</p> <p>2. 1 कूड़ादान/कंटेनर<sup>116</sup> = ₹ 15,000</p> <p>3. प्लास्टिक श्रेडर यूनिट<sup>117</sup>= ₹ 50,000 प्रति यूनिट</p>	

115 लागत बाजार भाव के अनुसार

116 एसबीएम दिशानिर्देशों और एचआरवीसीए रिपोर्ट में इनपुट के अनुसार लागत

117 लागत बाजार भाव के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	<p><b>चरण 1:</b></p> <p>a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना</p> <p>b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय</li> <li>कृषि अपशिष्ट की बिक्री</li> </ol>	<p>कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा</p> <p>घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार)</p> <p>संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न की जा सकती है<sup>118</sup> = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)</p>	
		<p><b>चरण 2 और 3:</b></p> <p>a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत<sup>119</sup>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹ 4,50,000</li> <li>ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ<sup>120</sup>: ₹ 35,00,000</li> </ol>	
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	<p><b>चरण 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध</li> <li>जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम</li> <li>रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना</li> <li>पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल</li> </ol>	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	

118 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%20>

119 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

120 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		<b>चरण 2:</b> a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएँ	
		<b>चरण 3:</b> a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	
4	स्वच्छता संबंधी संरचनाओं को बढ़ाना	<b>चरण 1:</b> घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना <b>चरण 2 और 3:</b> शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव	दो गड्डे वाले शौचालय ***= ₹15,000 to ₹20,000	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	-----------------------------------

## स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

1	सौर छतें	<p><b>चरण 1:</b> सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>सौर क्षमता की गणना के लिए एमएनआरई सोलर रूफटॉप पोर्टल का उपयोग करें।</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)*</p> $0.82 / 1000 = \text{___ टन CO}_2$
		<p><b>चरण 2 और 3:</b></p> <p>परिवार</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p> <p>मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p><b>चरण 2:</b> स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p><b>चरण 3:</b> स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000<sup>121</sup></p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

121 लागता एमएनआरई एवं बाज़ार भाव के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
2	कृषि-फोटोवोल्टिक	<p><b>चरण 2:</b> उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p><b>चरण 3:</b> उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 1 लाख<sup>122</sup></p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
3	सौर पंप	<p><b>चरण 1:</b> 20% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> 50% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न= कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p> <p>प्रति पंप लागत = ₹ 3 से 5 लाख<sup>123</sup></p>	<p>डीज़ल की खपत को कम करना =390 लीटर/प्रति/ वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390</p> <p>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO<sub>2</sub>e)</p>

122 स्थापना/लगाने की लागत बाजार दर अनुसार

123 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग	<p><b>चरण 1:</b> 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास उन्नत चूल्हों की उपलब्धता</p> <p><b>चरण 2:</b> 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में उन्नत चूल्हों की उपलब्धता</p> <p><b>चरण 3:</b> 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹ <b>50,000</b></p> <p>2 से 3 m<sup>3</sup> बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹ <b>45,000</b></p> <p>1 उन्नत चूल्हे की लागत = ₹ <b>3,000</b><sup>124</sup></p>	
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	<p><b>चरण 1:</b> सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p><b>चरण 2:</b> सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना ।</p> <p><b>चरण 3:</b> सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹ <b>70</b></p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹ <b>220</b></p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹ <b>1,110</b><sup>125</sup></p>	
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/ पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	<p>1 हाई-मास्ट की लागत = ₹ <b>50,000</b></p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹ <b>10,000</b><sup>126</sup></p>	

124 बाजार दर के अनुसार लागत

125 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत ( <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf> )

126 बाजार दर के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	-----------------------------------

## आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागत: ₹ 8-15 लाख प्रति यूनिट	
---	---	--------------------------	--	--



# अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

## एसडीजी 2: जीरो हंगर



**लक्ष्य 2.3:** भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

**लक्ष्य 2.4:** वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

**लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.:** सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

## एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



**लक्ष्य 3.3:** एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

**लक्ष्य 3.9:** खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

## एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



**लक्ष्य 6.1:** पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

**लक्ष्य 6.3:** वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

**लक्ष्य 6.4:** सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

**लक्ष्य 6.5:** सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

**लक्ष्य 6.8:** स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

**लक्ष्य 6.a :** अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

## एसडीजी 7: किरफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



**लक्ष्य 7.1:** किरफायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।


**लक्ष्य 7.2:** ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

**लक्ष्य 7.3:** ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

**लक्ष्य 7.a :** नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

**लक्ष्य 7.b:** विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

## एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



**लक्ष्य 8.3:** विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

## एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



**लक्ष्य 9.1:** गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

## एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



**लक्ष्य 11.2:** सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

**लक्ष्य 11.4:** विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

**लक्ष्य 11.7:** वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

## एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



**लक्ष्य 12.2:** प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

**लक्ष्य 12.4:** वर्ष 2020 तक, सहमत अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

**लक्ष्य 12.5:** वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

**लक्ष्य 12.5:** वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

**लक्ष्य 12.8:** वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

## एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाई



**लक्ष्य 13.1:** सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

**लक्ष्य 13.2:** जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

**लक्ष्य 13.3:** जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

## एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



**लक्ष्य 15.1:** अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

**लक्ष्य 15.2:** वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

**लक्ष्य 15.3:** वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्रवाई करना।

**लक्ष्य 15.9:** वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

# अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
<b>इमारती लकड़ी के पेड़</b>			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िकस रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
<b>फल और जंगली खाद्य पौधे</b>			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।
एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

## औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
--------------	------------------	-------------	-----------------

## औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़

एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंडेंसरोक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।

## अन्य पेड़

पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।





# નોટ્સ





